



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 1-886



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 वें दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) द्वारा संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनको उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 48.04 शब्दों में चार हजार आठ सौ चार जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 319 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल 133.88 वर्गमीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 38.43 अंकों में लीज धारक को लीज धारक को मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे नागों प्रशंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ राजस्त्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जखिप्रा द्वारा भूजिप में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहरित करेगा जो सभी प्रकार से सहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/अन्य सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 19216 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4045

19048 स्टाम्प रुपये 370 + 10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व बाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 132.88 वर्गमीटर/मीटर भूखण्ड की संख्या 1 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री

रक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम वन्दनाकरा मोषा
पुत्र पुत्र राजा श्री साधुलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी देवरायक देवरायक पुत्र श्री जगन्नाथ
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान

विकासकर्ता की ओर से-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र G/O Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय G/O Sh. PADAM SINGH BHATI
निवास स्थान G/O Sh. PADAM SINGH BHATI

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय Sh. SURAJMAL SINGH
निवास स्थान G/O Sh. SURAJMAL SINGH, JUNAHAAR NAGAR, JAIPUR

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति और आवेदन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) के पक्ष में संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापारिक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि नियमन की राशि 4014 शब्दों में चार हजार बीस जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका अधिकार विशेष रूप से इससे सलमन नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र मान्यता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीदार अपने उपयोग, सुधारों और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 22 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211 अंकों में तीन हजार दो सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के अन्त-गुणी के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और दिकय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार विकय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस प्रकार राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निर्बंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धमूल्य बैंक/सरकारी ऋणकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भू-निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4079-4080

स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहेसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व बाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 2 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2016 के माह 07 के 31 वें दिन श्री मधुसूदन पाटीवाल RAS सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

(2) नाम पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

(2) नाम पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

उपायुक्त एवं सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा अधिनियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 के 31

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनकी इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 40/4=40 शब्दों में 2415 रु. 2415 रु. जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 11.88 वर्गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमा, जमीन का किराया) एकमुश्त लीज रूपरे 3211=40 अंकों में 40/4=40 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आधुनिक के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के समस्त रूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकार होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया राहरी जमा के प्रत्येक निर्धारण के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का लीज होगा और वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये के निर्धारित होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बका दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कापटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अनिर्वात किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबन्धों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056.20 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4039,4040

स्टाम्प रुपये 8/10 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

संकेतों का नाम सुपाश्वर वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विरचित नाप सहित क्षेत्रफल 1/1.18 वर्ग मीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 3 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाव प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन

श्री 214/2/60 पाली बाम

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सूरजमल सिंह
पुत्र पुत्र, रज. जी. काकूरनाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी देवी
पुत्र लक्ष्मी देवी काकूरनाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
पुत्र F-9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-II
व्यवसाय VIDHYASHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय S/62, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

उपस्थित अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर नियमोद्देशीकरण जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर
For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा अधिनियम, 1986) के अन्तर्गत

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 2-204

यह दिलेख आज वर्ष 2015 के माह 2 के दिनांक 11 के दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं संकल्प खबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यवसाय व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014
शब्दों में चार हजार चौदह जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा पालन संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष में अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा पालन किये जायेने के एवज में लीजधारक को जमीन पर वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुभाश्व बाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 1/1/1/1 क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211 अर्को में 3211 रु. 00 पैसे मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथार्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या उप-पट्टेदार द्वारा दिया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या उप-पट्टेदार को दिया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समयतः अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।

उत्तरा मूखण्ड के अन्तर्ण के मामलों में, अन्तरिती के पदा में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विकच-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति पगमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहित करेगा जो सभी प्रभारों से निहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4075=4076

स्टाम्प रुपये 810 + 10 संख्या 6 वहेसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

पट्टा का नाम सुपाखर्वा वटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गफुट/मीटर, भूखण्ड की संख्या 4 सीमा

पूर्व

पश्चिम

सीमा उत्तर

दक्षिण

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 2 के 31 वें दिन
श्री जयपुर विकास प्राधिकरण,
सखम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

(2) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 7 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

(2) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

विकासकर्ता एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
मयमोहर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 के दिनांक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) द्वारा पत्र एवं संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यवसायिक जयपुर निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे जयपुर, राजस्थान इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मन्तकीन अलैह भी समितित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014 शब्दों में 4014 जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 सम्बन्ध से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुभाष चट्टिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 5 क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलम्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211 अंको में 1015000000000000 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय की दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों के अन्तर्गत निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदाता पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविषा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की पूर्णसंज्ञि या उसके उल्लंघन में कण्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्गुल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के मासे भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

16056

होती है। अताएव स्टाम्प नम्बर 3987-3998

इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 810 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

क्षेत्रफल का नाम सुपार्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 5 सीमा

पूर्व

पश्चिम

सीमा उत्तर

दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाव प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन

श्री R.A.S.

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी-

(1) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

(2) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07

के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी- RANVIR SINGH BHATI

(1) नाम S/o Sh. PADAM SINGH BHATI

पुत्र F-9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III

व्यवसाय VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

निवास स्थान

(2) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

KALU SINGH

S/o Sh. SURAJMAL SINGH

5/92, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

साक्षी के हस्ताक्षर

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का नगर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और परिवर्तन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज दिनांक 2015 के माह 2 के 31 दिनों में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है, पृथक् पृथक् संचाल्य डबलप्लॉट द्वारा पट्टा श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापार, पुराना निवासी ई-123-124, बार्गी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर-जिसकी इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साभयांकित करता है कि नियमन की राशि 4014 शब्दों में चार हजार एक सौ चार, जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कांष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे की एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल वर्गमीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3011 अंकों में तीन हजार और एक मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहें तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बचा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदनस्थानीयक सविस्तरकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे, प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त मूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त मूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखर बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट - इस मूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4122 4123 स्टाम्प रुपये 8/10 +10 संख्या 2 वैधियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सागानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/मीटर मूखण्ड की संख्या 6 सीमा

पूर्व

सीमा उत्तर

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षधरों ने इसके लिए प्रत्येक पक्ष में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 2 के 31 वें दिन

श्री म. च. मदन पालीवाल P.A.C.
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश कुमार
पुत्र श्री. राजेश कुमार
व्यवसाय सहकारी
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम श्री. नरेश कुमार
पुत्र श्री. नरेश कुमार
व्यवसाय सहकारी
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 2
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जोन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o. SH. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय 9/96 GUGAN VIHAR PHASE-III
निवास स्थान VINAYAK NAGAR, JAYPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र श्री. राजेश कुमार
व्यवसाय सहकारी
निवास स्थान जयपुर



उपस्थित पक्षों के अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Chander
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPER

लीजधारक के हस्ताक्षर

Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 02 के 21

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक जयपुर निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) को मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सप्रमाणित करता है कि नियम की राशि

4014/-

शब्दों में चार हजार एक सौ चालीस रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 284819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे की एवज में लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुभाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील, सांगानेर के भूखण्ड संख्या 7 क्षेत्रफल 111:88 वर्गमज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है और जिसका आकार निम्न रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी शर्तों, शर्तों और करारों के अधीन खेती, उद्योग, उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211/- अंको में तीन हजार दो सौ रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अयसर पर ऐसे पुनरीक्षण या तथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बदा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टाधारक पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्षारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीनियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रकल्पों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की वक्तव्यों के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्य्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षावृद्ध बैंक/सरकारी ऋणकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट 160561 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4083 4084
मूल्य राशि रुपये 160561 +10 सख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।
स्टाम्प रुपये 210

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/मीटर भूखण्ड की संख्या 7 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन 2015 के माह 7 के 31 वे दिन
श्री मो. सु. इन्द्र प्रताप, RAS
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम वन्दन लाल सीणा
पुत्र पुत्र स. श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर
(2) नाम लक्ष्मी नाथ
पुत्र लक्ष्मी नाथ
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन 2015 के माह 7 के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम KALU SINGH
पुत्र KALU SINGH
व्यवसाय S/O SH. SURAJMAL SINGH
निवास स्थान 5/83, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O SH. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/83, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान 5/83, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

C. Singh
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा/अनुमति/आवंटन) विनियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज तारीख 24.15 के माह 02 के 31 के दिनांक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया जाएगा) द्वारा संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि नियमन की राशि 4014 शब्दों में जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के अन्तर्गत लीजधारक को लीजधारक का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्वर वाटिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 88 क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3241 अंको में लीजधारक को देना पड़ेगा, मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथार्थस्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को जागे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अपधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह माया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनेक किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसूत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार का नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्क्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नोट:- इस भूखण्ड की प्रजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4165-4164 स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 2 बहिषयत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

पट्टा का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 8 सीमा

पूर्व — पश्चिम —
सीमा उत्तर — दक्षिण —
मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 7 के 31 वें दिन
श्री म. धुवराज पालीवाल R.N.
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सुभाष चन्द्र शर्मा सीमा
पुत्र पुत्र
व्यवसाय सहकारी
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम सुभाष चन्द्र शर्मा
पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा
व्यवसाय सहकारी
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 7
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम —
पुत्र —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

(2) नाम —
पुत्र KALU SINGH
व्यवसाय SUBAJMAL SINGH
निवास स्थान MAHAR NAGAR JAIPUR

उपस्थित एवं साक्षी अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
महानिरीक्षण जयपुर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

FOR SARKALP DEVELOPERS

—
लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नि

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख १४१

यह विलेख आज वर्ष २०१५ के माह ०७ के ०३ वें दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसाय व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि ५०१५/- शब्दों में पाँच हजार एक पचास रुपये के लीजधारक (पट्टेधारक) के द्वारा योत्सव संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक की जमीन की वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्व वाटिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल १११.८८ वर्गफुट/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211/- अंकों में लीज धारक २०१५/१४२८ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आयातीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वंशीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बायत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विनिर्दिष्ट विधि की दुरुभित्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्घ्यपदेशन द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबन्धनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्थापित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित रूप से निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति की कारित किसी भी प्रकार को नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट 16056 4162, 4163

स्टाम्प रुपये 8.10 + 10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सूर्यार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.83 वर्गमीटर, भूखण्ड की संख्या 9 सीमा

पर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सफल है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की और से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन
श्री मधु स्टेशन पालिका, RAS
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी—

(1) नाम सन्तजयवर्मा लीला
पुत्र पुत्र सन् श्री प्रहल्लाद
यवसाय प्रहल्लाद लीला सेवा
निवास स्थान छपरा

(2) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह ०७
को २१ वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लोजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय 3/96, SUGAM VIHAR, PHASE-II
निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम **KALU SINGH**
पुत्र **S/O SH. SURAJMAL SINGH**
व्यवसाय **5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR**
निवास स्थान

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
मयमीहर
अतिरिक्त निदेशक, प्रशिक्षण, रायपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर **Partner**

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 21

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तबीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4004/ शब्दों में पाँच हजार बीस बीस पाँच रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के अतिरिक्त लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान की जा रही है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील स्यानेर के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 133.88 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और इलाके के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र साहित्य किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खराब दीर, आपूर्ति, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस्तु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3842 अको में 1000 रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तारण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तारण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्धारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तारण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा मविप्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की एकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सहकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पारित भू-सन्निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।



परिशिष्ट

भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 19216, जो है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4025-4026
स्टाम्प रुपये 370 + 10 संख्या 20, बहसिक्क पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह संधानेर, जयपुर
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 133.88 वर्गमीटर, भूखण्ड की संख्या 11 सीमा
पूर्व पश्चिम
सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज तन 2015 को माह के 11 वें दिन
श्री मयूर सिंह पालावाल R.O.
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम पं. राजेश कुमार मोणा
पुत्र श्री. राजेश कुमार मोणा
व्यवसाय श्री. राजेश कुमार मोणा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम श्री. राजेश कुमार मोणा
पुत्र श्री. राजेश कुमार मोणा
व्यवसाय श्री. राजेश कुमार मोणा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज तन 2015 को माह 07
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O SH. RADAM SINGH BHATI
व्यवसाय S/O SH. RADAM SINGH BHATI
निवास स्थान JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O SH. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय S/O SH. SURAJMAL SINGH
निवास स्थान JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

उपस्थित अधिकारियों के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और नियंत्रण) नियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 882

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 10 के 3) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम नगर एवं संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यवसाय, जयपुर निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इशारेत में जहाँ कहीं प्रसंग हो वस्तु अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्योक्ति करता है कि नियमन की राशि 4000/- शब्दों में चार हजार रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 अर्थात् कोई में अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को पट्टा का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी सत्यो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और हस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211/- अंको में तीन हजार 211 रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विषय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बका दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

उप पजीयक
सांगानेर प्रथम

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति करादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिब्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नोट: इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 160561 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4053, 4054 पर रुपये 810 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।
 विकसकर्ता का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमैत्र/मीटर भूखण्ड की संख्या 12 सीमा पूर्व

सीमा उत्तर

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री सुपार्श्व वाटिका सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी-

(1) नाम धनप्रकाश मीणा
 पुत्र श्री बाबूलाल
 व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
 निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण शास्त्री
 पुत्र श्री नानगराम
 व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
 निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
 पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
 व्यवसाय F-9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-II
 निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
 पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
 व्यवसाय 5/62, JAYNAR NAGAR, JAIPUR



सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर
 For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 1-883

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 01 के दिने जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संशोधित किया गया है) संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसाय व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संशोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- शब्दों में चार हजार बीस रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 284819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पावन किये जायेंगे के अन्तर्गत लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संशोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपने सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विरोध रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन इसका उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211/- अंकों में तीन हजार बीस रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टे पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत-राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीनियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख शिथिल की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्य्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की पुनर्प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट - इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4037-4038

स्टाम्प रुपये 3/6+10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर जयपुर
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मीटर भूखण्ड की संख्या 13 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक देश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन
श्री जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सचिव विकास मीणा
पुत्र पुत्र स्व. श्री जयलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम श्री जयपुर विकास प्राधिकरण
पुत्र श्री जयपुर विकास प्राधिकरण
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय F-9/96, SUGAR VIHAR PHASE-2
निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5182, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान 5182, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

उपायुक्त एवं निदेशक
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERE

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और नियंत्रण) नियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा निलेख 899

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 के दिने जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) द्वारा संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापारी निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं पक्षों से पैरस अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी समितित्व में होंगे) के माध्यम से निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकृत करता है कि नियमन की राशि 4.014 शब्दों में चार हजार और दो जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राजस्व कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें संलग्न शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें के एवज में लीजधारक को तमाम का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करता है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211 अंकों में तीन हजार दो सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय पत्र या बान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविघ्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रगारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के अधीन लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कम्पटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोगिता द्वारा अधिग्रहण किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धमूल्य बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भूयुक्त निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट
:- भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16,058/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4671-4672
स्टाम्प रुपये 310 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

मालिक का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल 111.28 मीटर, भूखण्ड की संख्या 14 सीमा

पूर्व

सीमा उत्तर

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इस पट्टा विलेख के तहत वाद प्रत्येक साक्षी में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन
श्री सुपार्श्व वाटिका R.A.S
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सुपार्श्व वाटिका नीणा
पुत्र सुपार्श्व वाटिका नीणा
व्यवसाय सुपार्श्व वाटिका नीणा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम सुपार्श्व वाटिका नीणा
पुत्र सुपार्श्व वाटिका नीणा
व्यवसाय सुपार्श्व वाटिका नीणा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHADA
पुत्र S/O SH. PADAM SINGH BHADA
व्यवसाय SH. PADAM SINGH BHADA
निवास स्थान SH. PADAM SINGH BHADA

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O SH. SUBHAM SINGH
व्यवसाय S/O SH. SUBHAM SINGH
निवास स्थान B2, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

समानुपम एवं अधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) वि.

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 922



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 71 वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) द्वारा संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनका इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

वह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 444/- शब्दों में चार हजार चौराहें जो लीजधारक (भूतधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 284819 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, एवम् लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राजस्थान ग्राम विकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 111-88 क्षेत्रफल 111-88 वर्ग मीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विराम रूप में इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3241/- अंकों में दो हजार चौराहें मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होमी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथार्थस्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि — पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथापश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार/विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविआ द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।

उप पंजीकरण
सांगानेर

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम व्याज, आन्तरिक/बाह्य विदेश प्रभारों का कोई बकाया राजस्वधान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निषेधन के कारण यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके अंतर्गत कम्पटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग के दुरुप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निषेधन और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो अगर निकाय उक्त मुख्यण्ड पर उसके किसी भी व्यक्ति सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सही प्रमाणों के बिना नगर निकाय में निहित सम्पत्ति जायेगी और अगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त मुख्यण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिल्पकुल बैंक/सरकारी त्रुटि दात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकता है।

परिशिष्ट

मुख्यण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 160536/ होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4160-4161
स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमज/मीटर, मुख्यण्ड की संख्या 15 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की और से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 21 वे दिन
श्री जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी-

(1) नाम राजेश कुमार शर्मा
पुत्र राजेश कुमार शर्मा
व्यवसाय व्यवसाय
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नाथ शर्मा
पुत्र राजेश कुमार शर्मा
व्यवसाय व्यवसाय
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की और से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 21 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O SH. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय व्यवसाय
निवास स्थान BHADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

उपस्थित पक्षकारों के हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और नियंत्रण) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया) संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि नियमन की राशि 4014

शब्दों में 4014 रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा मालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राज्य ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल 11.88 वर्ग मज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211 अंकों में 3211 रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरित की वृद्धि में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा नविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।



8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुनियमिती या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण वस्तावेज के आधार पर दुरुव्यवस्था द्वारा अमिषाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंश्लेष करेगा जो सभी प्रभारों से रहित निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धयुक्त बैंक/सरकारी ऋणकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

उक्त भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4073-4074 स्टाम्प रुपये 810 + 10 संख्या 6 दहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व बाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 11.88 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 16 सीमा

पूर्व पश्चिम

रबीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक देश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वे दिन श्री राजेश कुमार यादव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जैन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश कुमार यादव पुत्र राजेश कुमार यादव व्यवसाय व्यवस्थापक सेवा निवास स्थान जयपुर

(2) नाम राजेश कुमार यादव पुत्र राजेश कुमार यादव व्यवसाय व्यवस्थापक सेवा निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI व्यवसाय F-9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR निवास स्थान

(2) नाम KALU SINGH पुत्र S/o Sh. SURAJMA SINGH व्यवसाय S/o Sh. JAWAHAR NAGAR, JAIPUR निवास स्थान

संक्षेप अधिकारी के हस्ताक्षर मयमोहरी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPER

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) अधिनियम, 1976



2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा बिलेख 0-875

यह बिलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 21 दिनांक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) के प्रथम अधिवेशन संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर (जिन्हें इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह बिलेख साक्ष्यकृत करता है कि नियमन की राशि 40/4 शब्दों में चार हजार पचास रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के अन्तर्गत लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और सौंप करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 1/1/1/1 क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपने सोमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसकी अधिकार विशेष रूप से इससे सम्बन्धित नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211 अकों में 2015-16 से 2016-17 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा बिलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, नें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा। उप पेशगी
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उससे पूर्व नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती को पक्ष में नाम नें अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुर द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 19८६ के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अविप्रायित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिलिखित करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निगम में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एचडीएफसी, अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण निगम के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 6056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4421-4422 स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 17 सीमा

पूर्व

पश्चिम

सीमा उत्तर

दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वें दिन
श्री सख्त सिंह पुत्र श्री बाबूलाल रा. 15
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सख्त सिंह पुत्र श्री बाबूलाल
पुत्र सख्त सिंह पुत्र श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम सख्त सिंह पुत्र श्री नानगराम
पुत्र सख्त सिंह पुत्र श्री नानगराम
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O SH. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय F-9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III
निवास स्थान VIJAYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O SH. SURESH SINGH
व्यवसाय सि. 5/1
निवास स्थान VIJAYADHAR NAGAR, JAIPUR

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPE

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और जमाबन्दी) नियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 37

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापार व्यवसाय व्यापार निवारी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- शब्दों में चार हजार बीस एक सौ पचास रुपये मात्र, जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284852 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीजधारक को जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 18 क्षेत्रफल 441.88 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211/- अंकों में लीजधारक द्वारा 24/1/15 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार निपट किया गया भूमि का किराया राहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्त और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टे के अधीन पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की प्रक्रिया में या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुर्य्यपदेशन द्वारा अविष्कृत किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निर्माण और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो निम्न निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रकार के निर्माण निकायों से निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार के नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड की सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 1158

1157 स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विरतृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/घेटर, भूखण्ड की संख्या 18 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री अरवि कुमार यादव सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम चन्द्रशेखर शर्मा
पुत्र पुत्र रज. श्री. बाबू लाल
व्यवसाय प्रो.वि.सि.स.स.स.स.स.
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम ...
पुत्र ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम ...
पुत्र ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 82, JAWHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान ...

...
सहायक एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
महामोहर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPER

...
लीजधारक के हस्ताक्षर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

...
साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) दि.

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 02 के 31

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया) संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर-जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि

शब्दों में चार हजार चौरास हजार जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 284819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किए जा रहे हैं, लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) खदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सुगानेर के भूखण्ड संख्या 19 क्षेत्रफल 11.88 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसकी प्रकृति विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्व अधिकार किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीदने, आगमन, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपरे 32.11 अंको में चार हजार चौरास हजार मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथारिथिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ राजस्व-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूपरे प्रति वर्गमीटर की दर से इस वर्ष के प्रथम सरकार/जविषा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख द्विषि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्वक द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त मूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिष्ठित करणों जो सभी प्रमाणों से सक्षम नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को वास्तविक निरालीय प्रमाणों की मुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस ~~प्रकार~~ विलेख के आधार पर उक्त मुख्यण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिल्प बैंक/सरकारी अण्डाकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिग्रहीत। अण्डाकारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण्डे के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

योजना का नाम सुपाश्वर्ष वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 19 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर..... दक्षिण.....

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक वशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आज सन 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री सत्य भुवन पालीवाल 60 ससम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

(1) नाम पुनः स्व. श्री. दाबुलाल
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान
.....

पुत्र लक्ष्मी नारायण नारायण पुत्र श्री नारायण
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जम्मा
निवास स्थान

आज सन् 2015 को माह ०७ -
 क ३१ यो दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति
 में उक्त यो विकास जैन लीजधारक द्वारा
 कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
 हस्ताक्षर किये गये।

(1) नाम - RANVIR SINGH BHATI
पुत्र - S/n SH. PARAM SINGH BHATI
व्यवसाय - 9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III
निवास स्थान - VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR

पुत्र
 व्यवसाय
 निवास स्थान

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण विभाग
राक्षस अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विभाग, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

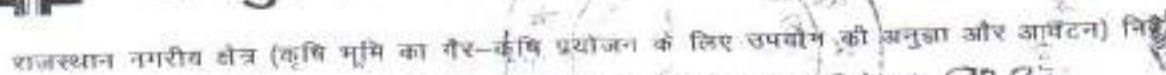
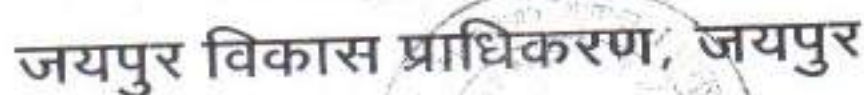
साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 733

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 3 के 31 के दिन

यह विलेख आज वर्ष 2011 के माह 7 के दिनांक 31 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रभु, पुनः पुनः संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन भुव श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसय, जयपुर निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनका इसको बाद सीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय फल तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) को मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यार्थित करता है कि नियमन की राशि 4804/78 जो लीजधारक (परदाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य-कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें खल्लिखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसकी श्राव उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करसी है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 2.1 क्षेत्रफल 133.88 वर्ग मीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे खल्लिखित नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वामी सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 38431/- अंको में Ang-estate 24/6/61 Punjab मध्य पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक वार्षिक निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अयस्तर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती उप-पट्टा पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा नविध में तब की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमोशों का कोई भकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्य्यपदेशित द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है, तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्तब्ध करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की चुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्खुल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट - इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 19216/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4015, 4016, स्टाम्प रुपये 370 +10 संख्या 2, बहसियात पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं। योजना का नाम सुपाश्वर वाटिका, ग्राम विकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 133.88 वर्गफुट/मीटर भूखण्ड की संख्या 21 सीमा पूर्व 4, पश्चिम 4, उत्तर 4, दक्षिण 4

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन 2015 के माह 2 के 31 वें दिन श्री अरवि कुमार सिंह, जयपुर विकास प्राधिकरण, जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

(2) नाम पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन 2015 को माह 2 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

(2) नाम KALU SINGH पुत्र व्यवसाय निवास स्थान

उप-सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर
Part

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह 2 के 31 वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) द्वारा पट्टा एवं संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284852 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 813 दिनांक 10.10.13 को से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इससे प्रत्यक्षित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के अन्तर्गत लीजधारक को जयपुर का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करना है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 11-88 वर्गफुट/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और भूखण्ड के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विमानचित्र में दर्शाया गया है और जिसमें पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211/- अंको में तीन हजार दो सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आव गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जबिगा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

उप-पट्टीयक

अध्यापक

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक / बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण वस्तावेज के आधार पर दुर्यपवेशन द्वारा अभिलेखित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो मगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4154-4155 स्टाम्प रुपये 810 + 10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

संस्थान का नाम सुपाश्वर वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111-88 वर्गज/मीटर भूखण्ड की संख्या 22 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से-

आज सन 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री सुपाश्वर वाटिका विकास प्राधिकरण जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी-

(1) नाम बन्धनलाल मोपा
पुत्र पुत्र राज श्री सूर्यलाल
व्यवसाय नगरपालिका सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम सुपाश्वर वाटिका विकास प्राधिकरण
पुत्र सुपाश्वर वाटिका विकास प्राधिकरण
व्यवसाय नगरपालिका सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से-

आज सन 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O SRI JADAM SINGH BHATI
व्यवसाय PHASE-III
निवास स्थान ADHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम सुपाश्वर वाटिका विकास प्राधिकरण
पुत्र सुपाश्वर वाटिका विकास प्राधिकरण
व्यवसाय नगरपालिका सेवा
निवास स्थान जयपुर

सुपाश्वर वाटिका विकास प्राधिकरण
संस्थान के अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) अधिनियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 948

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 3

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया) संकल्प दस्तावेज़ द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक व्यवसाय निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस हबारत में जहां कहीं पक्ष से इससे संबंध निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के द्वारा निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवश करता है कि नियमन की राशि 4014/-

शब्दों में चार हजार एक सौ चौराह जौ लीजधारक (पट्टाधारक) श्री विकास जैन पालन संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 23 क्षेत्रफल 11.88 वर्ग मीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 2211/- अंको में 2015-16 से 2016-17 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अनुसार बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा। सांगानेर पंचायत
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड की आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रेमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1986 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कंपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यवस्था द्वारा अतिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी प्रतिनिधि सहित उसे प्रतिस्पर्द्ध करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास मकान निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट: - इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4152-4153

स्टाम्प रुपये 510 +10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 23 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वे दिन

श्री मनू कुमार पालीवाल ए.एस.
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश्वरी श्रीवास्तव
पुत्र श्रीवास्तव श्रीवास्तव
व्यवसाय ग्राहक सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र श्री नारायण
पुत्र प्राधिकरण सेवा, जयपुर
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा, जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O S. S. BHATI
व्यवसाय VIDHYADHAR NAGAR, PHASE-II
निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, PHASE-II

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O S. S. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय VIDHYADHAR NAGAR, PHASE-II
निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, PHASE-II

अधिकारी के हस्ताक्षर
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) विधेयक

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 21

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक व्यवहार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं भी 'पक्ष' शब्द निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्ताफीन अलैह भी समितित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4814 शब्दों में 10.10.13 चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 को अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्थान ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3911 अंको में 24725 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक वार्षिक निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत वस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

उप पजीयक
सांगानेर प्रथम

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास फंड या कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के अन्तर्गत लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पता चलता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कम्पटपुर्न हस्ताक्षर के आधार पर पूर्वपदेशन द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पता चलता है कि नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सुविधा के प्रतिबन्धित करता है सभी प्रकार से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कोशित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षावृत्त बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट:- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4081

स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहेसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

वांछित नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 24 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वें दिन
श्री मन्मथ प्रताप सिंह/वाल 2-45
सदम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश कुमार शर्मा
पुत्र सुनील कुमार शर्मा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम राजेश कुमार शर्मा
पुत्र सुनील कुमार शर्मा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय 96, SUDAN VIHAR, PHASE-III
निवास स्थान JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

समायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सदम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
मैमोहर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर
Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अधिपति)

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख-865



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 02 के 21 वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष-शुभ संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक, सामान्य निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिले के इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014 शब्दों में 1918.8 जाला 2058 जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 11.88 वर्गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार निम्न से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र संहिता किन्तु विभाजित तर्गमिय प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने स्वयं के उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत करे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211 अंको में जोन 1 का 2 दोस्त 2 मा 15 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पर या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो इस विलेख में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों को कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की एकसंगी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3983-3784

स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

योजना का नाम सुपार्ख वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 25 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वें दिन श्री जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश कुमार भोपा
पुत्र पुत्र राजेश कुमार भोपा
व्यवसाय व्यवसाय
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा
पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा
व्यवसाय व्यवसाय
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 02 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय F-9/96, SUGAN NAGAR, PHASE-III
निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय S/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

जयपुर विकास प्राधिकरण
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

For SANKALP DEVELOPERS

साक्षी के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर



2012 के विधम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा मिलेख 1-167

यह विलेख आज दि. १०/११/०७ के ३१ वें दिन

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जहाँ इससे अधिक नगर नियोजन कहकर संशोधित किया गया है। (पृष्ठ ५५-५६)
संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विष्णु जैन जी, विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसाय व्यापार
निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सत्कर्न मार्ग, जाईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको
इसके बाद लीजधारक संशोधित किया गया है। (पृष्ठ ५६-५७) तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ
निकले, उनके उल्लेख अधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य
निष्पादित हुआ है।

यह विवेक साक्ष्यकित करता है कि नियमन की शर्तें, 4014 f
शब्दों में 2412 हजार 2555 मीटर जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुधाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 26 क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसमें नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 32-11 रु. अंको में 175 रु. की 6% जोड़ दे मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधन और शर्तें या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिमाण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास मकान निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नोट-इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3985 3986

स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 ब्रह्मसिंह पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मोटर, भूखण्ड की संख्या 26 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन
श्री मधु सूदन गौरीवाल, RAS
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम लखनदेवकाश श्रीणा
पुत्र पुत्र श्री लखनदेवकाश श्रीणा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी कान्हा देव पुत्र श्री कान्हा देव
पुत्र पुत्र श्री कान्हा देव
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07
के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH SHARTI
पुत्र S/O SH. NAGAR SINGH SHARTI
व्यवसाय F-37/96, DOGAR VILLAGE, JALPA
निवास स्थान JALPA

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O SH. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय S/O SH. SURAJMAL SINGH
निवास स्थान S/O SH. SURAJMAL SINGH, JALPA

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

SANKALP DEVELOPERS
लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) अधिनियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 869



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यवसाय व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वसी अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैड भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि शब्दों में चार हजार पचास हजार बीस रुपये के लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा प्रालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 111.58 वर्ग मीटर वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3,21,120 अंको में तीन हजार बीस हजार मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्निष्ठ निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विनियमित विनियमित मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथीरहित रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस क्षेत्र में राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय ग्रीमियम व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया को रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अमिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित और निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयुल्ड बैंक/सरकारी कृषि मंत्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भू-सन्निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

160562W होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3987, 3988

स्टाम्प रुपये 210 +10 संख्या 6, जोरिखत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मज/मीटर भूखण्ड की संख्या 27 सीमा

पूर्व

पश्चिम

सीमा उत्तर

दक्षिण

मानचित्र रालम है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक वंश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वं दिन श्री 30/07/2015 41/07/2015 R43 लक्ष्म अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी-

(1) नाम पीपरा
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वं दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम
पुत्र KALU SINGH
व्यवसाय
निवास स्थान JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

उपायुक्त एवं विकास अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANJIV P DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर
Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अधिप्राप्ति) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 21 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया जायेगा) प्रथम पक्ष एवं संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जे निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वसी अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि नियमन की राशि 4014=w शब्दों में 4014=w जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालान किया जायेगा, के पूरा होने पर लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, मण्डली, सागानेर के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 111.86 वर्गमीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलान नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व के साथ स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन रखी जाएगी अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211=w अंकों में लीजधारक को देना पड़ेगा। मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारण और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ राजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीत प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रकारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की एकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धयुद्ध बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

160582W होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3989,3910

स्टाम्प रुपये 8/0 +10 संख्या 6, बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्वर्य वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल 111.89 वर्गमीटर/मीटर भूखण्ड की संख्या 28 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक पक्ष में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वें दिन

श्री 24/2250 पालिका एस.एस.

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश कुमार शर्मा
पुत्र सुनील कुमार शर्मा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम राजेश कुमार शर्मा
पुत्र सुनील कुमार शर्मा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

निकासकर्ता की ओर से-

आज सन् 2015 को माह 02 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH
पुत्र S/O SH. RAJAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O SH. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

उपस्थित एवं निम्नलिखित अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर
साक्षी के हस्ताक्षर
S.P. REGISTRAR, JAIPUR

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 0.8680

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष पुर संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- शब्दों में चार हजार बीस एक रुपया जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पूर्णरूप से पूर्ण होने के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 1.11.88 वर्गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपने कोमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूप से परिचित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वायत्त, सम्बंधी स्वतंत्र, किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन विशेषकर अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपरे 3211/- अंको में तीन हजार दो सौ बीस एक रुपया मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अपधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस संबंधित राज्य सरकार/जविघ्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1950 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए ध्वंक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3991-3992
स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मीटर भूखण्ड की संख्या 29 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन
श्री सुखदेव पालीवाल R.A.S
लक्ष्म अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सुखदेव पालीवाल
पुत्र सुखदेव पालीवाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण मोहन पुत्र श्री नागाराम
पुत्र लक्ष्मी नारायण मोहन पुत्र श्री नागाराम
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम सुखदेव पालीवाल
पुत्र सुखदेव पालीवाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान जयपुर



साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 871

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 21

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) मुख्य पक्ष संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4804/- शब्दों में 21 हजार 343 के 21/- जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा राजस्व संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के कार्यालय में दर्ज की गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित किए जायेगे के अन्तर्गत लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 13-88 वर्ग मज 7 वर्गमीटर पर स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण दर्ज है तथा जिसका अधिकार विशेष रूप से इससी सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अन्तर्गत अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3843/- अंकों में 21 हजार 343 के 21/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में, मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ सजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा अधिष्ठ में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्विप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।



8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास सुवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट - इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 192161 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4013, 4014

स्टाम्प रुपये 920 +10 संख्या 2 बर्हसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुभाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तार नाप सहित क्षेत्रफल 133.88 वर्गमीटर, भूखण्ड की संख्या 31 सीमा

पूर्व — पश्चिम —

सीमा उत्तर — दक्षिण —

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक पक्ष में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन 2015 के माह 07 के 31 वें दिन
श्री सुभाश्व वाटिका, RAS
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सुभाश्व वाटिका, बी.पी.आ.
पुत्र सुभाश्व वाटिका, बी.पी.आ.
व्यवसाय सुभाश्व वाटिका, बी.पी.आ.
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण वाटिका, पुत्र श्री नारायण
पुत्र लक्ष्मी नारायण वाटिका, पुत्र श्री नारायण
व्यवसाय प्रबोधन सेवा, जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन 2015 को माह 07
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. RADHAKRISHN BHATI
व्यवसाय P/S/O, SUGAN VIHAR, PRASANTH
निवास स्थान VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SUDHARMA SINGH
व्यवसाय S/O, SUDHARMA SINGH
निवास स्थान S/O, SUDHARMA SINGH



[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का नगर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 9-867

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसाय व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/10138-805 शब्दों में चार हजार पचास रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) के पक्ष में संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 के पक्ष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसके उत्तराधिकारी शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 32 क्षेत्रफल 111.55 वर्ग मीटर वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211 जंको में 10.10.13 से 10.10.14 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य नियमों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बोर्ड के प्रथम सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या इसके उल्लंघन में कंपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है, तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझा जायेगा, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारितर उसी भू-प्रकार की भूखसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिडयूल्ड बैंक/सरकारी अस्पतात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भू-सन्निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 1656 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3793, 94 स्टाम्प रुपये 5/0 + 10 संख्या 6 बहेसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मौटर, भूखण्ड की संख्या 32 सीमा

पूर्व परिधि

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन
श्री महेश्वर पालीवाल सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम जयपुर विकास प्राधिकरण
पुत्र जयपुर विकास प्राधिकरण
व्यवसाय जयपुर विकास प्राधिकरण
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम जयपुर विकास प्राधिकरण
पुत्र जयपुर विकास प्राधिकरण
व्यवसाय जयपुर विकास प्राधिकरण
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O SH. BHANU SINGH BHATI
व्यवसाय S/O S. BHANU SINGH BHATI
निवास WIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O S. BHANU SINGH
व्यवसाय S/O S. BHANU SINGH
निवास स्थान WIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

जयपुर विकास प्राधिकरण
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
मुख्य अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया) संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग पर आवश्यक न निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तलीन अलैड भी सम्मिलित किया गया है। निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 404/- शब्दों में चार हजार बीस जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राजस्व को अदा कर दी गई है, और जिसकी स्वीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें तत्पश्चात् शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व राग ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 33 क्षेत्रफल 111.88 वर्गग्रज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3241/- अंको में तीन हजार दो सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अयसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।

सांगानेर प्रथम

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कर्षटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्पर्द्ध करेगा जो सभी प्रभाव से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की सुझावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए धर्चक रखा जा सकेगा।

नोट-इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16053/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 41504151

स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 2 बहिस्सित पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व बाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111-88 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 33 सीमा

पूर्व — पश्चिम —

सीमा उत्तर — दक्षिण —

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-
आज सन् 2015 के माह 07 के 21 वें दिन
श्री सुरजमल राज प्राधिकरण
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-
(1) नाम —
पुत्र —
व्यवसाय —
निवास स्थान —
जयपुर

(2) नाम —
पुत्र —
व्यवसाय —
निवास स्थान —
जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-
आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-
(1) नाम —
पुत्र —
व्यवसाय —
निवास स्थान —
जयपुर

(2) नाम —
पुत्र —
व्यवसाय —
निवास स्थान —
जयपुर

उपस्थित विकासकर्ता के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नि

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख १-१३६

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 3) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग हो, निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4041/- शब्दों में चार हजार चालीस रुपये जो लीजधारक (पट्टाधारक) संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उत्पन्न शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 34 क्षेत्रफल 111.88 वर्गफुट/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और हस्तान्तर के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिस नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211/- अंको में आठ हजार पैंतीस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि को आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और पिछव पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त पक्षों के अन्तर्गत निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टे पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

-

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) अधिनियम, 2012

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 46

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 3

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रयोग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के साथ निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि नियमन की राशि 404/- शब्दों में चार सौ चार पैसे जो लीजधारक (पट्टाधारक) के इसी चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उक्त शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राह्य ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 35 क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211 अंकों में जमा करावेगा और मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

उप पजीयक
सांगानेर प्रथम

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी भी दुरुभिसंधि या उसके उत्प्लेघन में कंप्यूटर पर दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख वाणिज्यिक और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित सभी प्रतिबंध करेगा जो किसी प्रकार से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उक्त पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4124-4125

स्टाम्प रुपये 210 + 10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

योजना का नाम सुभाष वटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 35 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन श्री जयपुर विकास प्राधिकरण, जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी-

(1) नाम वन्दप्रकाश मीणा
पुत्र पुन-रा श्री वन्दप्रकाश
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण श्री नानाराम
पुत्र लक्ष्मी नारायण श्री नानाराम
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 का माह 07 के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी-

(1) नाम KALU SINGH JAIN
पुत्र KALU SINGH JAIN
व्यवसाय KALU SINGH JAIN
निवास स्थान JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय S/o Sh. SURAJMAL SINGH
निवास स्थान 2, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

उपस्थित एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For Satisfied DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) अधिनियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 874



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 के दिनांक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रमुख पक्ष संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 40141 शब्दों में 31.12.2014 को 2014 में जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रभाव और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर जिले, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 111.62 वर्ग मीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपने नतीजा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसमें आकाश, विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी रसीदों सहित निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन लीजधारक अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में अपने नियमों के अन्तर्गत (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 32.11 अंकों में 2014-15 के लिए मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा। सांगानेर प्रथम
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रारकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दरु रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविषा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

- 10- इस प्रस्तावित विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षण बँक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

योशनी का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गफुट/मीटर, भूखण्ड की संख्या 36 सीमा

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आज सन 2015 के माह 07 के 03 के दिन श्री मधु अदन पाण्डेय, R.R.S सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

(1) नाम
 पुत्र
 व्यवसाय
 निवास स्थान

(2) नाम
 पुत्र
 व्यवसाय स्थानीय नागरिक सेवा, पुत्र श्री नानगराम
 निवास स्थान अधिकृत सेवा, जयपुर

माज सन् २०१५ को माह ०७
को २३१ वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन तीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

(1) नाम
 पुत्र
 व्यवसाय
 निवास स्थान

(2) नाम KALU SINGH
 पुत्र
 व्यवसाय S/o Sh. SURAJMAL SINGH
 निवास स्थान 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर
मयमोह

साथी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर: Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अवधि) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 7 के 31 दिनों जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) के प्रथम बैठक एवं संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है। द्वितीय पक्ष तथा इस इशारा में जहाँ कहीं प्रमाण के बिना कोई निकास, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी निम्नलिखित होने के प्रमाण निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 40141 शब्दों में 241/2511/2512 जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य कृषि से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसके निम्नलिखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 111.62 वर्गमीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 32111 अको में लीज द्याए दी है और मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बदा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को जागे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी वशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त सिनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ सहायक रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुर द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास भूधारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के अधीन भू-राजस्व की बकाया राशि का रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमिसाधि या उसके उल्लंघन में कथित/प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष के आधार पर दुरुपदेशित द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निधित्व वाले से उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रकार से सहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की सन्निधित्व वाली में उतरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीएन-बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकारी/अर्ध-राज्य/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भूतल ऋण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 160561 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4059, 4060

स्टाम्प रुपये 210 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 37 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज तन 2015 के माह 2 के 31 वे दिन श्री मधु अरुण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम चन्द्रप्रकाश भीष्मा
पुत्र पुत्र च. श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी कृष्ण मल्होत्रा पुत्र श्री नानाराम
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज तन 2015 का माह 2 के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATTI
पुत्र श्री RANVIR SINGH BHATTI
व्यवसाय RANVIR SINGH BHATTI
निवास स्थान RANVIR SINGH BHATTI

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र श्री KALU SINGH
व्यवसाय S/o SH. SURAJMAL SINGH
निवास स्थान S/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सह. अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अधिनियम) वि.

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 863

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 21 वें दिन

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यवसायिक जयपुर निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इशारेत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी संबोधित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि नियमन की राशि 5014 शब्दों में चार हजार दो सौ चार जो लीजधारक पट्टाधारक के द्वारा पालन संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राजस्व कोष में अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ले चुका है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाशर्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 78 क्षेत्रफल 111.88 वर्ग मण्ड/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिस पर पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम द प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और हस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3911 अंको में तीन हजार दो सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा। उप पूज्यीयक सांगानेर प्रथम
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ खजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरनिराई या उसके उल्लंघन में कंपूटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनेप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी भी निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार को नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीएनएम निगम/शिङ्गुल्ड बैंक/सरकारी कृषि कर्षात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भूखण्ड निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16058 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 39957

3998 स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहेसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 38 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन
श्री मन्मथ कुमार पांडेय R.A.S
सहस्र अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम जयप्रकाश मोणा
पुत्र पुत्र स्व. श्री यादुनाथ
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण मोणा पुत्र श्री नानगराम
पुत्र प्राधिकरण सेवा जयपुर
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा जयपुर
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07
के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/O. SH. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय 9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III
निवास स्थान VIPRA DHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/O. SH. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/53 JAWHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान JAWHAR NAGAR, JAIPUR

मन्मथ कुमार पांडेय
सहस्र अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

C. J. J.
साक्षी के हस्ताक्षर

SAKALP DEVELOPE
साक्षी के हस्ताक्षर

Partner
लीजधारक के हस्ताक्षर

SAKALP DEVELOPE
साक्षी के हस्ताक्षर

SAKALP DEVELOPE
साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) विनियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 889



यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 02 के 31 दिनों में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम और एवं संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से देसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैत भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि नियमन की राशि 4014/- शब्दों में चार हजार बीस जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुभाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 39 क्षेत्रफल 11.8.8 वर्ग गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211/- अंको में तब दत्त कर लेता है। मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती यहाँ तक कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाये, शासित होंगे। पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबन्धनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति करादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके अन्वय में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सविमर्ण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सहकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट
इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4063-4064
स्टाम्प रुपये 810 + 10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजनी का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 11-88 वर्गज/मीटर भूखण्ड की संख्या 29 सीमा

पूर्व - - - - - पश्चिम - - - - -

सीमा उत्तर - - - - - दक्षिण - - - - -

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारी ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन
श्री म. दुर्गादत्त पालीवाल R.A.S
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम राजेश कुमार शर्मा
पुत्र राजेश कुमार शर्मा
व्यवसाय आधिकारिक सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम रमणी नारायण शर्मा पुत्र श्री नानाराम
पुत्र राजेश कुमार शर्मा
व्यवसाय आधिकारिक सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07
के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM BHATI BHATI
व्यवसाय 9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-II
निवास स्थान YADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

उपस्थित एवं प्रामाणिक अधिकारी
मोहम्मद
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकृत मन्तरी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया परिसंपत्ति में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर विकास वक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निस्वाम में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी कर्मचारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास नवीन निर्माण के ऋण के लिए धर्क रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 19216/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4043-4044

स्टाम्प रुपये 370 + 10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्वर्य कटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल 11.88 वर्गज/मीटर भूखण्ड की संख्या 4/ सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारी ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं:-

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन श्री राजेश कुमार पांडेय R.A.S सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम _____
पुत्र _____
व्यवसाय _____
निवास स्थान _____

(2) नाम _____
पुत्र _____
व्यवसाय _____
निवास स्थान _____

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम _____
पुत्र _____
व्यवसाय _____
निवास स्थान _____

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र _____
व्यवसाय S/O S
निवास स्थान 82, JAWAHAR NAGAR

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

Partner

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 891

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 12 के 30 दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर-निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम एवं संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं इसका उल्लेख अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्ताजीग अलौह भी सहित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014 रु. शब्दों में चार हजार बीस एक जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्श्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 11.88 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्—

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3211 अंकों में तीन हजार बीस एक मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विद्यय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उप-पट्टे के नियमों में अन्तर्लिखित निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टे के नियमों पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विनियमित विनियमित मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।

- 50

14-00000

पूर्य

सरकार की ओर से:-

साक्षी:—

2000

विद्ययायकर्मणि नमो नमो नमो

साक्षी:-

Fig. 5. *Continued*

निवा

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अर्जन) अधिनियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 870

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 22

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया) संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनका इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि नियमन की राशि 4014

शब्दों में चार हजार चौदह जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर्वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 43 क्षेत्रफल 11.52 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक भूखण्डों के साथ है, तथा जिसका आकार विरोध रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे भूखण्डों के सम्बन्ध में स्वयं के स्वयं सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और शर्तों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्

1. लीजधारक कार्यालय में या उसके समक्ष पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूप में 390 अर्थात् तीन सौ नौ सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बरस के निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार कृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा मविध्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निम्नलिखित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।

उप पजीयक

सांगानेर प्रथम

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रचारों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1966 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी की दुरभिसंधि या उसके उत्तराधिकार में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निर्बंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय प्रभुत्व भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिशुद्ध करेगा जो सभी प्रचारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्वुल्ड बैंक/सरकारी जलदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :- इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 3999 रुपये 310 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गगज/मीटर, भूखण्ड की संख्या 4.3 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वें दिन श्री म. लालू देव पांडेय R.A.S सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जॉन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम चन्द्रप्रकाश भीमा
पुत्र भुजराज श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी देवदास भीमा
पुत्र श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय E-9/95, SUGAN VIHAR, PHASE-III
निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

OSL
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

C. L.
साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

साक्षी के हस्ताक्षर

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का नगर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 884

यह विलेख अंतिम वर्ष 2015 के माह 07 के 31

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) द्वारा संकल्प डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापारिक निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इशारेत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य सिम्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से जमा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा सिम्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राज्य ग्राम ठिकरिया, तहसील सांभलपुर के भूखण्ड संख्या 111-8-8 वर्गमज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपने-सोना और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका अधिकार विशेष रूप से इससे सलंगन नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिन नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के मूल्य में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211/- अंको में तीन हजार दो सौ 2711 मात्र पेशगी जमा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक वार्षिक निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संवाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परवात् और विकस्य पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी सुझि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बचा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विकस्य-विलेख, दान विलेख या इसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरनिरूपिता या उसके उल्लंघन में कमटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अमिषाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदमानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिशुवृद्ध बैंक/सरकारी अर्धदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट - इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 160.56 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4068-4070

स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहीसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्श्व बाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.55 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 111 सीमा

पूर्व

सीमा उत्तर

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दृश्य में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 02 के 31 वे दिन

श्री सुपार्श्व बाटिका, तह. सांगानेर, जयपुर

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)

में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम वन्दना कौश मीणा
पुत्र पुत्र एवं श्री नारायण
व्यवसाय प्राधिकरण सभा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम नरेश
पुत्र नरेश
व्यवसाय नरेश
निवास स्थान नरेश

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 का माह 02

के 31 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति

में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में

हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम रानवीर सिंह भट्टी
पुत्र रानवीर सिंह भट्टी
व्यवसाय रानवीर सिंह भट्टी
निवास रानवीर सिंह भट्टी
स्थान रानवीर सिंह भट्टी

(2) नाम कालू सिंह
पुत्र कालू सिंह
व्यवसाय कालू सिंह
निवास स्थान कालू सिंह



Case
समायोजक एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Signature
साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPE

Signature
लीजधारक के हस्ताक्षर

Signature
साक्षी के हस्ताक्षर

Signature
साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

9-89

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 के जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) के संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन धर्म निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आइसोमी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर, इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है। (नियम-22 के अन्तर्गत इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रधानक, प्रतिनिधि और मन्तकान अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकृत करता है कि नियमन की राशि 24014 शब्दों में 24014 जी लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालान किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 11.18.22 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलमन नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3911 अंको में 3911 के अंको में मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक वार्षिक निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा। सांगानेर प्रथम
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ राजस्वकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीनियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरक्षित करेगा जो सभी प्रकार के निहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास नगर निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4051/

4052 स्टाम्प रुपये 8.10 + 10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपार्वर वाटिका, ग्राम ठिकरिया नर सांगानेर, जयपुर

विरस्तुत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 मीटर भूखण्ड की संख्या 4.5 सीमा

पूर्व

पश्चिम

सीमा उत्तर

दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षधरों ने इसके बाहर प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री ~~मन्वज प्रकाश शीणा~~ R.A.S सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण जौन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम मन्वज प्रकाश शीणा
पुत्र पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम लक्ष्मी नारायण शीणा पुत्र श्री नानभराम
पुत्र लक्ष्मी नारायण शीणा पुत्र श्री नानभराम
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय P-8/96, SURAJMAL CHASE
निवास स्थान VIDHYAGHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
निवास स्थान

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख 8-872

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 दिनों में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प इवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यवसाय निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे इसका इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रस्न से वरीय अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह में सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4041/- शब्दों में चार हजार चार सौ 41 के लीजधारक (लीजधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 10.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपाश्व वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 4.6 क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रुपये 3211/- अंको में तीन हजार 11 सौ 11 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विद्यय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथार्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-20 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धन और शर्तें और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबन्धनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट
वाट - इस भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4008
स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहिस्सित पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विरत नाप सहित क्षेत्रफल 111.80 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 46 सीमा

पूर्व

सीमा उत्तर

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षवादी (यदि इसके बाद प्रत्येक पक्ष में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन

श्री सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)

में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

(2) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07

के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति

में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में

हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

RANVIR SINGH BHATI

S/o Sh. PADAM SINGH

F-9/96, SUGAN VIHAR, P.

MIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम

पुत्र

व्यवसाय

निवास स्थान

KALU SINGH

S/o Sh. SURAJMAL SINGH

5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

सुपाश्व वाटिका, ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) अधिनियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 3

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापार निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यार्कित करता है कि नियमन की राशि 40.14/ शब्दों में चार एकर सोलह जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के अलावा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) लीज करती है जो योजना "सुपाश्वर वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगुधर के भूखण्ड संख्या 11.10.13 क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका अधिकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वच्छ राशित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन सारीददार अपने प्रयोजन उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय तिधारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपरे 32.11 अको में चार एकर सोलह मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के परयात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बढा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक् आदेशों द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ सजिस्ट्रकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा। प्रथम प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूपरे प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाधत राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिशुद्ध करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार में नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिल्पमूल्य बैंक/सरकारी कृणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत कृणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056 होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4054-4056 स्टाम्प रुपये 810+10 संख्या 6 बहीसयत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

भूखण्ड का नाम सुपाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गमीटर/मीटर, भूखण्ड की संख्या 42 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वें दिन श्री सुपाश्व वाटिका विकास प्राधिकरण सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जैन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम वज्रप्रकाश भीष्मा
पुत्र पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम पुत्र
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 को माह 07 के 31 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o. Sh. RAJAM SINGH BHATI
व्यवसाय 9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III
निवास VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम पुत्र
व्यवसाय KALU SINGH
निवास S/o. Sh. RAJMAL SINGH
5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

सुपाश्व वाटिका विकास प्राधिकरण
सक्षम अधिकारी, जयपुर
जैन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर
For SANKALP DEVELOPERS

Partner
लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम

2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 07 के 31 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं संकल्प डबलपर्स द्वारा पार्टनर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यापारिक जयपुर निवासी ई-123-124, बापूजी मार्ग, सहकार मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उल्लेख अधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- शब्दों में चार हजार बीस एक रुपया जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुपार्वर्ष वाटिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 48 क्षेत्रफल 1.11-96 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक प्रत्येक संस्थाओं, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

लीजधारक के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इत हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज कर के रूप में 3711/- अको में जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।

- एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथारिथति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है यथावश्यक निर्बंधन किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्माण सहित उसे प्रतिसंभूत करेगा जो सभी शर्तों से निहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित/किसी भी प्रकार की मुकदानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षण बैंक/सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत कर्णदात्री संस्थाओं के पास भू-निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

उक्त भूखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/ होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4068, स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

योजना का नाम सुभाश्व वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/घंटे, भूखण्ड की संख्या 48 सीमा

पूर्व पश्चिम

सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारी ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 09 के 21 वे दिन श्री सुभाश्व वाटिका सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सुभाश्व वाटिका
पुत्र सुभाश्व वाटिका
व्यवसाय सुभाश्व वाटिका
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम सुभाश्व वाटिका
पुत्र सुभाश्व वाटिका
व्यवसाय सुभाश्व वाटिका
निवास स्थान जयपुर

विकासकर्ता की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 21 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
पुत्र S/o Sh. PADAM SINGH BHATI
व्यवसाय VIDHYADH
निवास स्थान जयपुर

(2) नाम KALU SINGH
पुत्र KALU SINGH
व्यवसाय S/o S. RAJMAL SINGH
निवास स्थान 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR

उपायुक्त एवं उपायुक्त अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPER

लीजधारक के हस्ताक्षर Partner

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



यह विलेख आज के माह १७ के ३१ वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है, संकल्प डवलपमेंट द्वारा प्राप्ता श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन व्यावसायिक निवासी ई-123, 124, गणजी मार्ग, सेक्टर मार्ग, आईओसी पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक कहा जाएगा है (द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि नियमन की राशि 4014/- शब्दों में 4177 4177 2155 2155 जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान संख्या 284856 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284854 दिनांक 10.10.13 चालान संख्या 284850 दिनांक 10.10.13 एवं चालान संख्या 284824 दिनांक 10.10.13 तथा चालान संख्या 819 दिनांक 11.10.13 राज्य कोष से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सुभाष चट्टिका" राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 49 क्षेत्रफल 111.48 वर्गज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शों में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 3241/- अंकों में 35500/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथारिथति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्बिष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती यथावश्यक पर ध्यान पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ राजस्वकृत विक्रय-विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से इस बाबत राज्य सरकार/जयपुरा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

- परिशिष्ट
 :- इस मुखण्ड की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 16056/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4116,
 4117 / स्टाम्प रुपये 810 +10 संख्या 2 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।
 जयपुर नाम सुपाश्वर्य वाटिका, ग्राम ठिकरिया, तह. सांगानेर, जयपुर
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 111.88 वर्गज/मीटर मुखण्ड की संख्या 49 सीमा
 पूर्व पश्चिम
 सीमा उत्तर दक्षिण

मानचित्र सलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से:-

आज सन् 2015 के माह 07 के 31 वे दिन
श्री मधुसूदन पासीवाज
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान)
में हस्ताक्षर किये।

साक्षी:-

(1) नाम सिद्धेश्वर प्रसाद शीखा
 पुत्र पुत्र स्व. श्री. कानूलाल
 व्यवसाय प्रतिष्ठान, सेवा
 निवास स्थान जसपुर

(2) नाम लक्ष्मी राजापुरा के राजनगरम
पुत्र प्राधिकरण सेवा जयपुर
व्यवसाय
निवास स्थान

विकासकर्ता की और से:-

आज सन् 2015 को माह ०२
को ३१ वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति
में उक्त श्री विकास जैन लीजधारक द्वारा
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

(1) नाम RANVIR SINGH BHATI
 पुत्र S/O Sd. PADAM SINGH BHATI
 व्यवसाय -9/96, SUGAN VIHAR, PHASE-III
 निवास स्थान VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR

(2) नाम KALU SINGH
 पुत्र S/o Sh. SURAJMAL SINGH
 व्यवसाय 5/82, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
 निवास स्थान

सहायक एवं सहायक अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
प्राप्तुर निधायमाह

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For SANKALP DEVELOPERS

लीजधारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR VIII
JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2014401016027	Date	08/12/2014
Presenter Name	BHAGCHAND JAIN	Document S. No	2014401015323
Presenter/Property Address	5 NR BOHRA COMPLEX NR BOHRA ROAD ULLUBADI GUWAHATIKAAMPUR ASAM AS GPA SUNITA JAINnull		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	VIKAS JAIN	Payment Mode	Cash
Face Value	60000000	Evaluated Value	53508472
		Stamp Value	2935090

Ord- registration fee	50000	commssion	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	Surcharge	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	50300

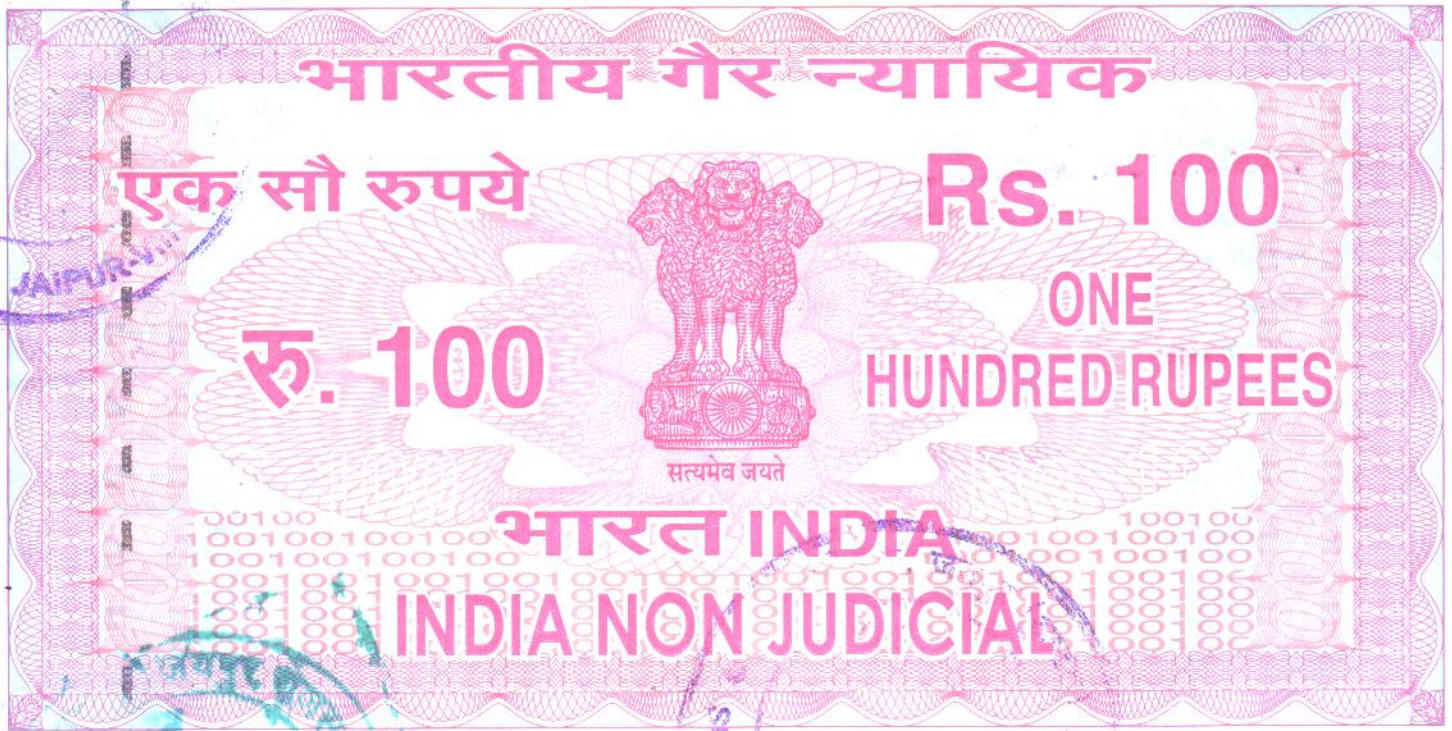
Fifty Thousand Three Hundred Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-VIII



उप-पंजीयक 8
जयपुर मानसरोवर



राजस्थान RAJASTHAN

AA 587931



--:: विक्रय पत्र ::--

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर सन् 2014 ईस्वी को :-

(1) भागचन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल जैन जाति जैन निवासी एन.

आर. बोहरा कॉम्पलेक्स, एस.आर. बोहरा रोड़, उल्लूबाड़ी, गोवाहाटी, जिला

लगातार :

For Sangam Infotech.com Limited

Steel Gaur

05/12/14

Director, SANKALP DEVELOPERS

05/12/14

PARTNER

उप-पंजीयक 8
अजयपुर राजसरोवर

2239 5/12/2019

श्री कल्या डवलपर्स

पता का नाम

स्थान... 6-123/124, सहकार मार्ग, जयपुर

प्रति का पद 100/- वास्तु विनय पत्र

RP

प्रमाणित करता हूँ
कि श्री कल्या डवलपर्स
किसी भी प्रकार का
ल - 3-10-9 3



- :: पृष्ठ संख्या 2 :: -

कामरूप, आसाम हाल निवासी फ्लैट नम्बर 123, नारायण टॉवर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर बहैसियत मुख्तयार आम श्रीमती सुनीता जैन आयु 44 वर्ष धर्मपति श्री भागचन्द चूड़ीवाल जाति जैन निवासी फ्लैट नम्बर 123, नारायण टॉवर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर, (2) श्रीपाल जैन आयु 52 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल जैन जाति जैन निवासी मकान नम्बर 5, एन. आर. बोहरा कॉम्पलेक्स, एस.आर. बोहरा रोड़, उल्लूबाड़ी, गोवाहाटी, जिला कामरूप, आसाम हाल निवासी फ्लैट नम्बर 123, नारायण टॉवर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर बहैसियत स्वयं व बहैसियत मुख्तयार आम श्रीमती कुसुम चूड़ीवाल आयु 48 वर्ष धर्मपति श्री श्रीपाल चूड़ीवाल जाति जैन निवासी फ्लैट नम्बर 123, नारायण टॉवर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर व (3) संगम इन्फोटेक कॉम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड कम्पनी है, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 01, मेन सैक्टर, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान है, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भागचन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल जैन जाति जैन निवासी एन. आर. बोहरा कॉम्पलेक्स, एस.आर. बोहरा रोड़, उल्लूबाड़ी, गोवाहाटी, जिला कामरूप, आसाम हाल निवासी फ्लैट नम्बर 123, नारायण टॉवर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर

विक्रेतागण प्रथम पक्ष

की ओर से

मैसर्स संकल्प डवलपर्स, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत एक भागीदारी फर्म है, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय ई-120/124, आई.ओ. सी. पेट्रोल पम्प के पीछे, सहकारी मार्ग, जयपुर है, द्वारा अधिकृत भागीदार विकास जैन आयु 37 वर्ष पुत्र श्री विमल चन्द जैन जाति जैन निवासी 3-क-10, जवाहर नगर, जयपुर

क्रेता द्वितीय पक्ष

के हित में लिखा जाता है।

जो कि जिला जयपुर, तहसील सांगानेर, राजस्व ग्राम ठिकरिया में निजी भूमि में सृजित 'सुपाईव वाटिका' के अनुमोदित मानचित्र बी.पी.सी. एल.पी. 21/10/2013 में सृजित तीन समूह आवासीय भूखण्ड एवं भूखण्ड संख्या 1 से 27 है, जिसको प्रस्तावित संशोधित मानचित्र में खसरा नम्बर 331, 332, 333, 335,

For Sangam Infotech.com Limited

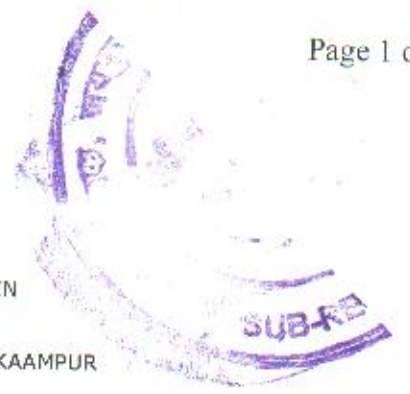
 Director



For SANKALP DEVELOPERS
लगातार :

 PARTNER

आज दिनांक 8 माह दिसम्बर सन् 2014 को 01:35 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री BHAGCHAND JAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE BHANWAR LAL JAIN
 उम्र 48 वर्ष, जाति JAIN व्यवसाय BUSINESS
 निवासी 5 NR BOHRA COMPLEX NR BOHRA ROAD ULLUBADI GUWAHATI KAAMPUR
 ASAM AS GPA SUNITA JAIN null
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।



हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 (2014401015323)

((Sale Deed (Conveyance deed)))

हस्ताक्षर उप पंजीयक
 JAIPUR-VIII
 जयपुर मानसरोवर

रसीद नं०	[2014401016027]
दिनांक	[8-12-2014]
पंजीयन शुल्क रु०	50000
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पट्टांकन शुल्क रु०	300
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्वाम्य शुल्क रु०	0
कुल योग रु०	50300

(2014401015323)

((Sale Deed (Conveyance deed)))

उपपंजीयक JAIPUR-VIII
 जयपुर मानसरोवर



- :: पृष्ठ संख्या 3 :: -

336, 338 व 346 में आवासीय भूखण्ड संख्या 1 से 90 दिखाया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	1	138.88 वर्गमीटर
2	2	111.88 वर्गमीटर
3	3	111.88 वर्गमीटर
4	4	111.88 वर्गमीटर
5	5	111.88 वर्गमीटर
6	6	111.88 वर्गमीटर
7	7	111.88 वर्गमीटर
8	8	111.88 वर्गमीटर
9	9	111.88 वर्गमीटर
10	10	183.69 वर्गमीटर
11	11	133.88 वर्गमीटर
12	12	111.88 वर्गमीटर
13	13	111.88 वर्गमीटर
14	14	111.88 वर्गमीटर
15	15	111.88 वर्गमीटर
16	16	111.88 वर्गमीटर
17	17	111.88 वर्गमीटर
18	18	111.88 वर्गमीटर
19	19	111.88 वर्गमीटर
20	20	183.69 वर्गमीटर
21	21	133.88 वर्गमीटर
22	22	111.88 वर्गमीटर
23	23	111.88 वर्गमीटर
24	24	111.88 वर्गमीटर
25	25	111.88 वर्गमीटर
26	26	111.88 वर्गमीटर
27	27	111.88 वर्गमीटर
28	27	111.88 वर्गमीटर
29	29	111.88 वर्गमीटर
30	30	183.69 वर्गमीटर
31	31	133.88 वर्गमीटर
32	32	111.88 वर्गमीटर

For Sangam Infotech.com Limited


Director



For SANKALP DEVELOPERS:


PARTNER

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

Signature

Photo

Thumb

1 -BHAGCHAND JAIN / LATE BHANWAR LAL JAIN

उम्र -48 वर्ष जाति - JAIN, व्यवसाय -BUSINESS

निवासी - 5 NR BOHRA COMPLEX NR BOHRA ROAD ULLUBADI
GUWAHATI KAAMPUR ASAM AS GPA SUNITA JAIN

2 -SHRIPAL JAIN AS SELF AND AS GPA KUSUM

CHURIWAL / BHANWAR LAL JAIN

उम्र -52 वर्ष जाति - JAIN, व्यवसाय -BUSINESS

निवासी - 5 N R BOHRA COMPLEX NR BOHRA ROAD ULLUBADI
GUWAHATI KAAMPUR ASAM

3 -BHAGCHAND JAIN / BHANWAR LAL JAIN

उम्र -48 वर्ष जाति - JAIN, व्यवसाय -BUSINESS

निवासी - 5 N R BOHRA COMPLEX NR BOHRA ROAD ULLUBADI
GUWAHATI KAAMPUR ASAM AS DIRECTOR SANGAM
INFOTECH COM LTD

(And Claimant)

1 -VIKAS JAIN / VIMAL CHAND JAIN

उम्र -37 वर्ष जाति - JAIN व्यवसाय -BUSINESS

निवासी -3 KA 10 JAWAHAR NAGAR JAIPUR AS PARTNER MS
SANKALP DEVELOPERS

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर
निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिकूल राशी रु० 60000000/- पूर्व
में/मेरेसमक्ष / मे रें रु० 60000000/- पूर्व में ----- मेरे समक्ष प्राप्त
करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SEEMA JAIN

पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री VIKAS JAIN

उम्र -35 वर्ष जाति-JAIN व्यवसाय -PROFESSIONAL

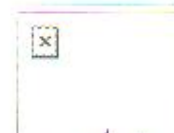
निवासी 3 KA 10 JAWAHAR NAGAR JAIPUR,,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAN LAL PILODA

पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SATYANARAYAN PILODA

उम्र -32 वर्ष जाति-JAT व्यवसाय -BUSINESS

निवासी GRAM DHAKAWALA BHOBAS PHULERA,JAIPUR,



ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठ के निशान मेरे समक्ष लिये
गये हैं।

(2014401015323)

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

Sale Deed (Conveyance deed)

उप-पंजीयक ४
जयपुर मागसरोवर

- :: पृष्ठ संख्या 4 :: -

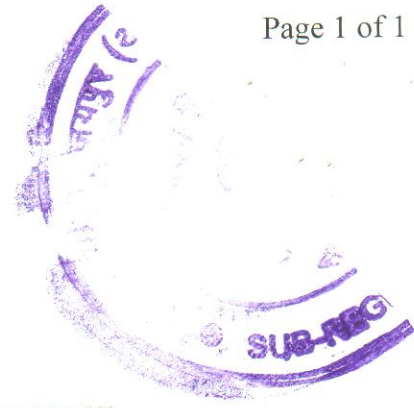
33	33	111.88 वर्गमीटर
34	34	111.88 वर्गमीटर
35	35	111.88 वर्गमीटर
36	36	111.88 वर्गमीटर
37	37	111.88 वर्गमीटर
38	38	111.88 वर्गमीटर
39	39	111.88 वर्गमीटर
40	40	183.69 वर्गमीटर
41	41	133.88 वर्गमीटर
42	42	111.88 वर्गमीटर
43	43	111.88 वर्गमीटर
44	44	111.88 वर्गमीटर
45	45	111.88 वर्गमीटर
46	46	111.88 वर्गमीटर
47	47	111.88 वर्गमीटर
48	48	111.88 वर्गमीटर
49	49	111.88 वर्गमीटर
50	50	183.69 वर्गमीटर
51	51	133.88 वर्गमीटर
52	52	111.88 वर्गमीटर
53	53	111.88 वर्गमीटर
54	54	111.88 वर्गमीटर
55	55	111.88 वर्गमीटर
56	56	111.88 वर्गमीटर
57	57	111.88 वर्गमीटर
58	58	111.88 वर्गमीटर
59	59	111.88 वर्गमीटर
60	60	183.69 वर्गमीटर
61	61	133.88 वर्गमीटर
62	62	111.88 वर्गमीटर
63	63	111.88 वर्गमीटर
64	64	111.88 वर्गमीटर
65	65	111.88 वर्गमीटर
66	66	111.88 वर्गमीटर
67	67	111.88 वर्गमीटर
68	68	111.88 वर्गमीटर

For Sangam Infotech.com Limited

Director
Director

For SANKALP DEVELOPERS
For SANKALP DEVELOPERS
PARTNER

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
 की मालियत रुपये 60000000
 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
 राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 50000 कुल रुपये 50000 जरिये रसीद संख्या
 [2014401016027]
 दिनांक [8-12-2014] में जमा किये गये हैं।
 अतः दस्तावेज को रुपये 2935090
 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।



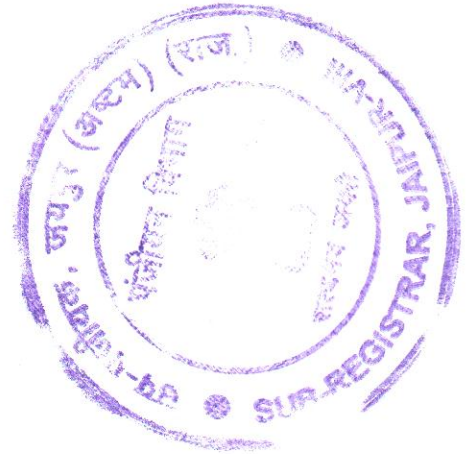
(2014401015323) उप पंजीयक, JAIPUR-VIII
 (Sale Deed (Conveyance deed))

उप-पंजीयक 8
 जायपुर मानसरोवर

आज दिनांक 8/12/2014 को
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 313
 में पृष्ठ संख्या 81 क्रम संख्या 2014401009309 पर
 पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1250
 के पृष्ठ संख्या 357 से 372
 पर चर्या किया गया।

(2014401015323) उप पंजीयक, JAIPUR-VIII
 Sale Deed (Conveyance deed)

उप-पंजीयक 8
 जायपुर मानसरोवर



69	69	111.88 वर्गमीटर
70	70	183.69 वर्गमीटर
71	71	133.88 वर्गमीटर
72	72	111.88 वर्गमीटर
73	73	111.88 वर्गमीटर
74	74	111.88 वर्गमीटर
75	75	111.88 वर्गमीटर
76	76	111.88 वर्गमीटर
77	77	111.88 वर्गमीटर
78	78	111.88 वर्गमीटर
79	79	111.88 वर्गमीटर
80	80	183.69 वर्गमीटर
81	81	133.88 वर्गमीटर
82	82	111.88 वर्गमीटर
83	83	111.88 वर्गमीटर
84	84	111.88 वर्गमीटर
85	85	111.88 वर्गमीटर
86	86	111.88 वर्गमीटर
87	87	111.88 वर्गमीटर
88	88	111.88 वर्गमीटर
89	89	111.88 वर्गमीटर
90	90	183.69 वर्गमीटर
कुल भूखण्ड 90 कुल क्षेत्रफल 10913.49 वर्गमीटर		

उक्त योजना की भूमि प्रथम पक्ष की निजी खातेदारी की भूमि थी तथा खसरा नम्बर 394 व 395 कुल 2 किता कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर की 90-बी की कार्यवाही दिनांक 11/08/2010 ईस्वी को, खसरा नम्बर 331, 332, 333 मिन, 334, 335 मिन, 336 मिन, 338 मिन, 339, 341 व 344 कुल 10 किता कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर की 90-बी की कार्यवाही दिनांक 16/03/2011 ईस्वी को, खसरा नम्बर 346 मिन, 383, 385, 387, 392 व 401 कुल 6 किता कुल रकबा 2.96 हैक्टेयर की 90-बी कार्यवाही दिनांक 11/08/2013 ईस्वी को व खसरा नम्बर 393, 396 से 398, 400, 345, 348, 349, 325/1, 322, 321, 312, 314, 318 कुल 14 किता कुल रकबा 3.18 हैक्टेयर की 90-ए कार्यवाही दिनांक 01/10/2013 ईस्वी को हो चुकी है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या 1 से 90 के बिना किसी अन्य व्यक्ति के साझे व हिस्से का एकमात्र स्वामी, अधिकारी व काबिज हैं

For Sangam Infotech.com Limited

Sangam
Director

Sankalp

लगातार :
For SANKALP DEVELOPERS
Sankalp
PARTNER

जिसको प्रथम पक्ष ने आज तक किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार के हित में किसी भी प्रकार से विक्रय, बख्शीश व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है और न ही इस सम्बन्ध में किसी से अनुबन्ध इत्यादि कर रखा है, प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टन्टे, जमानत, ऋणादि के भार एवं बंधन, जमानत, कर्जा, कुकी, डिक्री, अधिग्रहण इत्यादि सरकारी व जनसाधारण से मुक्त है, उपरोक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश इत्यादि है, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष का टाइटल नीट एण्ड क्लीन, मार्केटेबिल है, इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं।

उक्त श्रीमती सुनीता जैन ने मुख्तयारनामा आम लिखा हुआ दिनांक 20/11/2014 ईस्वी के द्वारा अपने पति उक्त श्री भागचन्द जैन को अपना मुख्तयार आम नियुक्त कर उक्त योजना में सृजित भूखण्ड संख्या 1 से 90 में उनके हिस्से भूखण्ड को विक्रय करने के समस्त अधिकार प्रदान कर दिये है, उक्त मुख्तयारनामा आम का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कामरूप मेट्रो (गुवाहाटी) की पुस्तक संख्या 4 में क्रम संख्या 4288 पर दिनांक 20/11/2014 ईस्वी को हुआ है, श्रीमती सुनीता जैन जीवित है, जिन्होंने उक्त मुख्तयारनामा आम निरस्त नहीं किया है, उक्त मुख्तयारनामा आम आज तक यथावत है एवं उक्त श्रीमती कुसुम जैन ने मुख्तयारनामा आम लिखा हुआ दिनांक 26/11/2014 ईस्वी के द्वारा अपने पति उक्त श्री श्रीपाल जैन को अपना मुख्तयार आम नियुक्त कर उक्त योजना में सृजित भूखण्ड संख्या 1 से 90 में उनके हिस्से भूखण्ड को विक्रय करने के समस्त अधिकार प्रदान कर दिये है, उक्त मुख्तयारनामा आम का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कामरूप मेट्रो (गुवाहाटी) की पुस्तक संख्या 4 में क्रम संख्या 48 पर दिनांक 26/11/2014 ईस्वी को हुआ है, श्रीमती कुसुम जैन जीवित है, जिन्होंने उक्त मुख्तयारनामा आम निरस्त नहीं किया है, उक्त मुख्तयारनामा आम आज तक यथावत है तथा संगम इन्फोटेक कॉम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स की मीटिंग दिनांक 28/11/2014 ईस्वी में उक्त सुपार्श्व वाटिका में सृजित भूखण्ड संख्या 1 से 90 को विक्रय करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर लिया एवं कम्पनी की ओर से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने, राशि प्राप्त करने, बयान देने, पंजीयन कराने, भौतिक कब्जा प्रदान करने आदि के अधिकार अधिकृत डायरेक्टर भागचन्द जैन को प्रदान कर रखे है, इसलिये इस विक्रय पत्र में प्रथम पक्ष से तात्पर्य संयुक्त रूप से 'श्रीमती सुनीता जैन, श्रीपाल जैन, श्रीमती कुसुम चूड़ीवाल व संगम इन्फोटेक कॉम प्राइवेट लिमिटेड' से हैं।

ae 7

उप-पंजीयक 8
जयपुर मानसरोवर

प्रथम पक्ष को रुपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या 1 से 90 को 6,00,00,000/- रुपये अक्षरे छ: करोड़ रुपयों

For Sangam Infotech.com Limited


Director



लगातार :
For SANKALP DEVELOPERS


PARTNER

- :: पृष्ठ संख्या 7 :: -

के बदले विक्रय करना चाहते हैं जिसको द्वितीय पक्ष खरीद करने से सहमत है, इसलिये प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या 1 से 90 बहसियत दरोबस्त कुल स्वत्वों व अधिकारों, बाहरी, भीतरी, नीचे, ऊपर इत्यादि सहित बिना रखे किसी अंश व भाग के उक्त द्वितीय पक्ष के हित में 6,00,00,000/- रुपये अक्षरे छः करोड़ रुपयों के बदले अंतिम रूप से विक्रय कर दिया है।

प्रथम पक्ष ने आपसी सहमति से कुल मूल्यधन 6,00,00,000/- रुपये अक्षरे छः करोड़ रुपये द्वितीय पक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है :-

राशि	चैक नं.	बैंक	शाखा
29,70,000/-	013952	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013953	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013954	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013955	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013956	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013957	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013958	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013959	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013960	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013961	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013962	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013963	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013964	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013965	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013966	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013967	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013968	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013969	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013970	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
29,70,000/-	013971	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सहकार मार्ग, जयपुर
6,00,000/-	1% T.D.S. Amount under Section 194-IA of Income Tax Act		
कुल मूल्यधन 6,00,00,000/- रुपये अक्षरे छः करोड़ रुपये			

उप-पजीयक 8
जयपुर मानसरोवर

प्रथम पक्ष कुल मूल्यधन की उक्त प्रकार से प्राप्ति होना इस विक्रय पत्र में

For Sangam Infotech.com Limited


Director



लगातार :
For SANKALP DEVELOPERS


PARTNER




स्वीकार करते हैं, अब मूल्यधन का कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा है।

प्रथम पक्ष ने बेचे हुये भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष का आज मौके पर खाली का भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा संभला दिया है एवं प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्डों के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटोकॉपी द्वितीय पक्ष को आज संभला दी है।

अब बेचे हुये भूखण्डों से प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष कम्पनी के निदेशकगण, अंशधारीगण, उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नो, प्रतिनिधियों इत्यादि का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

अब द्वितीय पक्ष (मैसर्स संकल्प डवलपर्स) बेचे हुये भूखण्ड संख्या 1 से 90 का एकमात्र स्वामी, अधिकारी व काबिज हो चुका है और द्वितीय पक्ष को इसके सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेने, फायदा उठाने, मंजिल दर मंजिल निर्माण कराने, रहन, विक्रय, बख्शीश व अन्य प्रकार से परिवर्तन एवं हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त हैं।

बेचे हुये भूखण्डों के सम्बन्ध में आज से पहले का कोई झगड़ा, टन्टा सरकारी व जनसाधारण का बाकी निकलेगा या कोई व्यक्ति, बैंक अथवा सरकार इस विक्रय के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि करेंगे अथवा आज से पहले के टैक्सेज, लीज, पेनल्टी इत्यादि का कोई रुपया बाकी निकलेगा तो उन सबका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं अपने खर्चे से करेंगे, द्वितीय पक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होगा, किसी प्रकार की दावेदारी से अथवा स्वामित्व अधिकार की त्रुटि के कारण बेचे हुये भूखण्ड सम्पूर्ण अथवा इनका कोई अंश व भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे या अधिकार से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्ड की कीमत भावी प्रचलित बाजार दर से प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष की प्रत्येक प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

इस विक्रय पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्डों से सम्बन्धित समस्त सरकारी विभागों, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि में अपना नाम अंकित करवाने व अपने खर्चे से अपने नाम से नियमन का पट्टा प्राप्त करने, बिजली, पानी, टेलीफोन लाईन इत्यादि के कनेक्शन्स लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या 1 से 90 कुल क्षेत्रफल 10913.49 वर्गमीटर द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से विक्रय कर दिये हैं जिसको इस विक्रय पत्र के साथ लगे नक्शे में पीले रंग से दिखलाया गया है,

For Sangam Infotech Pvt. Ltd. जयपुर
जिसका मालिकाना अधिकार मूल्यधन से अधिक नहीं है।

For SANKALP DEVELOPERS

Director

Deal Jan

लगतार : PARTNER

- :: पृष्ठ संख्या 9 :: -

इस विक्रय पत्र के पंजीयन का मुद्रांक शुल्क, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क इत्यादि द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र दोनों पक्षों ने अपनी राजी-खुशी, स्वस्थ चित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव के 100/- रुपये के एक स्टाम्प पेपर व आठ ग्रीन पेपर पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

हस्ताक्षर विक्रेतागण प्रथम पक्ष :

(भाग चन्द जैन बहैसियत मुख्तयार आम
श्रीमती सुनीता जैन PAN : AEDPJ 9509 E)

(श्रीपाल जैन PAN : ACBPJ 5952 H
बहैसियत स्वयं व बहैसियत मुख्तयार आम
श्रीमती कुसुम चूड़ीवाल PAN : ABWPJ 9957 G)

उप-पंजीयक 8
जयपुर मानसरोवर

For Sangam Infotech.cor Limited

(संगम इन्फोटेक कॉम लिमिटेड
PAN : AAHCS 4552 R
जरिये अधिकृत निदेशक भाग चन्द जैन)

For SANKALP DEVELOPERS

PARTNER

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीय पक्ष :

(मैसर्स संकल्प डवलपर्स
PAN A/F
जरिये अधिकृत भागीदार विकास जैन)

गवाह 1

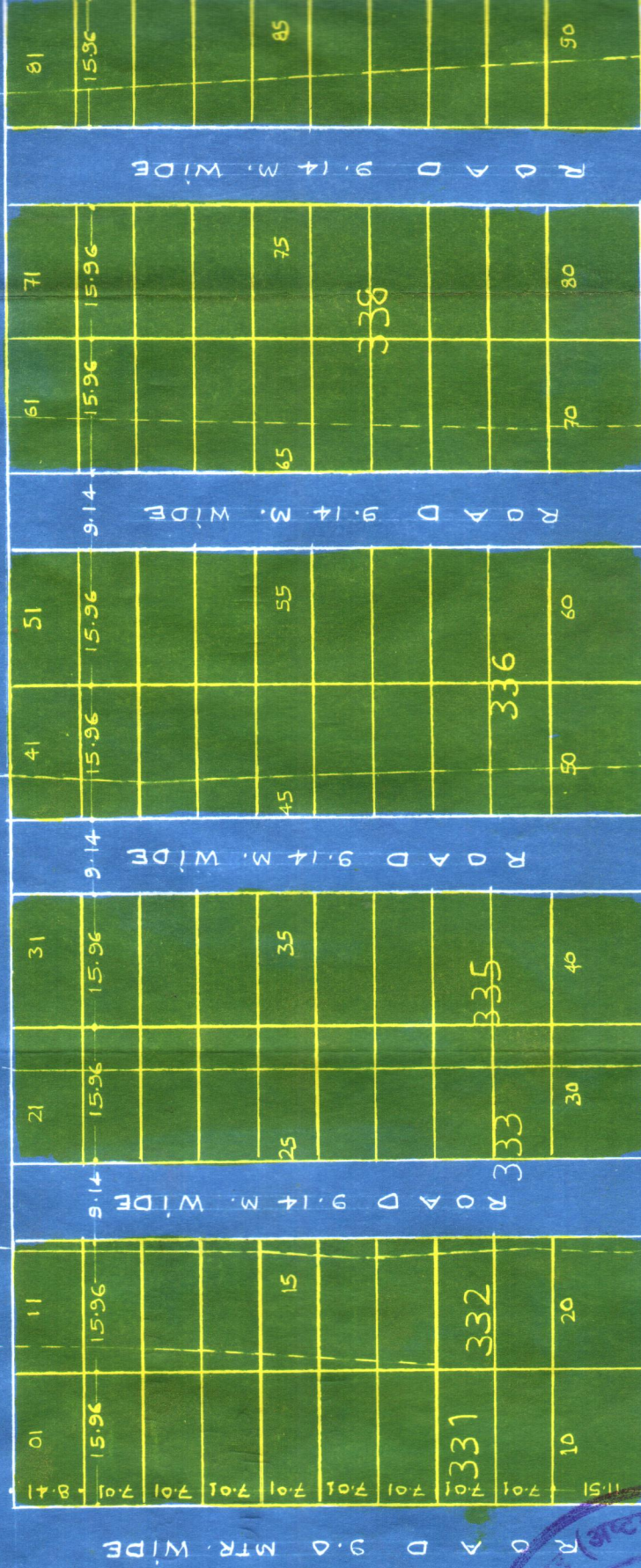
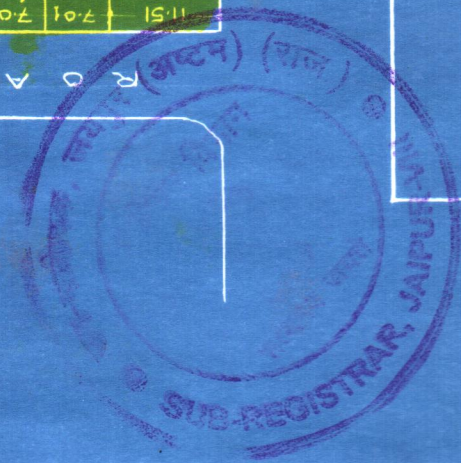
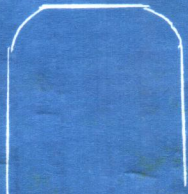
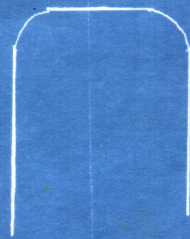
Seema Jain
Seema Jain
W/o Vikas Jain
3-KA-10, Jawahar Nagar
Jaipur

गवाह 2

Mohal
1
mohal
S/o Satya Narayan
Dhakawali, Mohal
Phalera, Jaipur

Drafted By
Amit Savraf Adv.

PLAN SHOWING THE PLOT NO. 1 TO 30 IN SUPARSHWA VATIKA, SCHEME
INSIDE VILLAGE THIKARIYA, TEHSIL SANGANER, JAIPUR



TOTAL AREA = 10913.
 DEED COLOUR SHOWN

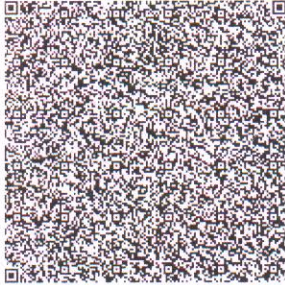


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ01775902584654M
Certificate Issued Date : 08-Dec-2014 01:14 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ rjshcil01/ MANSAROVAR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRSHCIL0101867183051521M
Purchased by : MS SANKALP DEVELOPERS
Description of Document : Article 21 Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description : PLOT NO 1 TO 90 IN KHASRA NO 331,332,333 AND OTHERS,
GRAM THIKARIA, TEH. SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.) : 6,00,00,000
(Six Crore only)
First Party : BHAGCHAND JAIN GPA SUNITA JAIN SHRIPAL JAIN OTHERS
Second Party : MS SANKALP DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By : MS SANKALP DEVELOPERS
Stamp Duty Amount(Rs.) : 32,28,499
(Thirty Two Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundred And Ninety
Nine only)



-----Please write or type below this line-----

[Signature]
उप-पंजीवक
जयपुर मानसरोवर

XM 0001502203

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0037738634



Payment Date: 13/02/2020 15:44:55

Office Name: SUB REGISTRAR-I REGISTRATION & STAMPS, SANGANER

Location: SANGANER

Period: 01/04/2019-To-31/03/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	300.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 300.00

Three Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ADV DEEPAK SONI	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(302016)
Address:Plot No. 1-09, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, Suparshav Angan (Suparshav Vatika), Thikariya, Ajmer Road	Remarks:SEARCH PERIOD 2015 TO 2020 NAME - SANKALP DEVELOPERS

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: PNB GateWay(Credit/Debit Cards)	Bank CIN No: 991000196965513022020
Date: 13/02/2020 15:44:55	Refrence No: 9847172921

Computer generated copy on : 13/02/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0037738787



Payment Date: 13/02/2020 15:47:00

Office Name: SUB REGISTRAR-VIII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2019-To-31/03/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	50.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 50.00

Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ADV DEEPAK SONI

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): jaipur(302016)

Address:Plot No. 1-09, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, Suparshav Angan (Suparshav Vatika), Thikariya, Ajmer Road

Remarks:SEARCH PERIOD 2015 TO 2020 NAME - SANKALP DEVELOPERS

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: PNB GateWay(Credit/Debit Cards)

Bank CIN No: 991000148410013022020

Date: 13/02/2020 15:47:00

Refrence No: 9847185079

Computer generated copy on : 13/02/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

ANUDEEP LAW ASSOCIATES

Office :- 516, Soni Paris Point, 5th Floor, Opp. District and Session Judge Court,
Collectorate Circle, Banipark Jaipur (Raj.) 302001, E-mail :- anudeeplaw516@gmail.com

Anup Jhalani
Contact :- 9828017511
anu_jhalani@yahoo.co.in

Deepak Soni
Contact :- 8766622266
advocatedeepaksoni@gmail.com

LEGAL TITLE REPORT

dated :13-02-2020

Name of Project: - Suparshwa Aangan (Suparshwa Vatika) Village- Thikariya (Bad ke Balaji Ajmer Road) Tehsil- Sanganer, Jaipur.

Owner Name: Sankalp Developers, Registered Office- E-123-124, Bapuji Marg, Sahkar Marg, Behind IOC Petrol Pump, Jaipur.

Property address: Plot Nos. 1 to 9, 11 to 19, 21 to 29, 31 to 39 & 41 to 49 (Total 45 Plots), Situated at Suparshwa Aangan (Suparshwa Vatika), Village- Thikariya (Bad ke Balaji) Ajmer Road, Tehsil- Sanganer, Jaipur (Raj.) Boundaries, dimensions and measurements of the plots are given under :-

S. N.	Plot No.	Area (Sq. Mtr.)	East to West	North to South	In East	In West	In North	In South
			(in Mtr.)	(in Mtr.)				
1	1	133.88	15.96 (s) 15.87 (N)	8.41	Plot No. 11	Road 9 Meter Wide	Facility	Plot No. 2
2	2	111.88	15.96	7.01	Plot No. 12	Road 9 Meter Wide	Plot No. 1	Plot No. 3
3	3	111.88	15.96	7.01	Plot No. 13	Road 9 Meter Wide	Plot No. 2	Plot No. 4
4	4	111.88	15.96	7.01	Plot No. 14	Road 9 Meter Wide	Plot No. 3	Plot No. 5
5	5	111.88	15.96	7.01	Plot No. 15	Road 9 Meter Wide	Plot No. 4	Plot No. 6
6	6	111.88	15.96	7.01	Plot No. 16	Road 9 Meter Wide	Plot No. 5	Plot No. 7
7	7	111.88	15.96	7.01	Plot No. 17	Road 9 Meter Wide	Plot No. 6	Plot No. 8
8	8	111.88	15.96	7.01	Plot No. 18	Road 9 Meter Wide	Plot No. 7	Plot No. 9
9	9	111.88	15.96	7.01	Plot No. 19	Road 9 Meter Wide	Plot No. 8	Plot No. 10
10	11	133.88	15.87 (N) 15.96 (S)	8.41	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 1	Facility	Plot No. 12
11	12	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 2	Plot No. 11	Plot No. 13
12	13	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 3	Plot No. 12	Plot No. 14
13	14	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 4	Plot No. 13	Plot No. 15
14	15	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 5	Plot No. 14	Plot No. 16
15	16	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 6	Plot No. 15	Plot No. 17
16	17	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 7	Plot No. 16	Plot No. 18
17	18	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 8	Plot No. 17	Plot No. 19

For Anudeep Law Associates

Partner

18	19	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 9	Plot No. 18	Plot No. 20
19	21	133.88	15.87 (N) 15.96 (S)	8.41	Plot No. 31	Road 9.14 Meter Wide	Other Land	Plot No. 22
20	22	111.88	15.96	7.01	Plot No. 32	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 21	Plot No. 23
21	23	111.88	15.96	7.01	Plot No. 33	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 22	Plot No. 24
22	24	111.88	15.96	7.01	Plot No. 34	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 23	Plot No. 25
23	25	111.88	15.96	7.01	Plot No. 35	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 24	Plot No. 26
24	26	111.88	15.96	7.01	Plot No. 36	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 25	Plot No. 27
25	27	111.88	15.96	7.01	Plot No. 37	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 26	Plot No. 28
26	28	111.88	15.96	7.01	Plot No. 38	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 27	Plot No. 29
27	29	111.88	15.96	7.01	Plot No. 39	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 28	Plot No. 30
28	31	133.88	15.87 (N) 15.96 (S)	8.41	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 21	Other Land	Plot No. 32
29	32	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 22	Plot No. 31	Plot No. 33
30	33	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 23	Plot No. 32	Plot No. 34
31	34	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 24	Plot No. 33	Plot No. 35
32	35	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 25	Plot No. 34	Plot No. 36
33	36	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 26	Plot No. 35	Plot No. 37
34	37	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 27	Plot No. 36	Plot No. 38
35	38	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 28	Plot No. 37	Plot No. 39
36	39	111.88	15.96	7.01	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 29	Plot No. 38	Plot No. 40
37	41	133.88	15.87 (N) 15.96 (S)	8.41	Plot No. 51	Road 9.14 Meter Wide	Other Land	Plot No. 42
38	42	111.88	15.96	7.01	Plot No. 52	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 41	Plot No. 43
39	43	111.88	15.96	7.01	Plot No. 53	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 42	Plot No. 44
40	44	111.88	15.96	7.01	Plot No. 54	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 43	Plot No. 45
41	45	111.88	15.96	7.01	Plot No. 55	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 44	Plot No. 46
42	46	111.88	15.96	7.01	Plot No. 56	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 45	Plot No. 47
43	47	111.88	15.96	7.01	Plot No. 57	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 46	Plot No. 48
44	48	111.88	15.96	7.01	Plot No. 58	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 47	Plot No. 49
45	49	111.88	15.96	7.01	Plot No. 59	Road 9.14 Meter Wide	Plot No. 48	Plot No. 50

Documents Description

1. Plot No. 1 to 9, 11 to 19, 21 to 29, 31 to 39 & 41 to 49 (Total 45 Plots) along with other plots (developed in Khasra No. 331, 332, 333, 335, 336, 338 & 346 in Village Thikariya, Tehsil Sanganer, Jaipur) was purchased by Sankalp Developers from Mr. Bhagchand Jain POA holder of Mrs. Sunita Jain W/o Mr. Bhagchand Jain, Mr. Shripal Churiwal as POA holder of Mrs. Kusum Churiwal W/o Mr. Shripal Churiwal, Mr. Shripal Churiwal and M/s Sangam Infotech.com Limited vide sale deed executed on 05/12/2014, which was duly registered with office of Sub Registrar VIII, Jaipur in Book No. 1, Volume No. 313, Page no. 81, Serial No.

For Anudeep Law Associates


Partner

2014401009309 and copy of which is pasted in Additional book no 1, Volume no. 1250, at page no. 357 to 372.

2. The below mentioned Properties i.e. Plot No. 1 to 9, 11 to 19, 21 to 29, 31 to 39 & 41 to 49. (Total 45 Plots), are issued/executed by JDA Jaipur in name of Sankalp Developers, these property documents were registered before the office of Sub-Registrar of Sanganer - Ist, Jaipur, rest of details of these property documents such as JDA Patta issued dates, registration details etc. are given hereunder.

Plot No.	Patta Serial No.	Date of Issue	Book No.	Vol. No.	Page No.	Serial No.	Registered Date	Book No.	Vol No.	Page No.
1	D-886	31-07-15	1	980	54	201503024106821	09-09-15	1	3515	316 to 331
2	D-906	31-07-15	1	980	55	201503024106822	09-09-15	1	3515	332 to 347
3	D-878	31-07-15	1	979	83	201503024106650	04-09-15	1	3512	1 to 10
4	D-904	31-07-15	1	979	82	201503024106649	04-09-15	1	3511	591 to 600
5	N.A.	31-07-15	1	980	56	201503024106823	09-09-15	1	3515	348 to 363
6	D-907	31-07-15	1	978	194	201503024106561	03-09-15	1	3510	111 to 120
7	D-901	31-07-15	1	979	73	201503024106640	04-09-15	1	3511	501 to 510
8	D-912	31-07-15	1	979	3	201503024106570	03-09-15	1	3510	201 to 210
9	D-949	31-07-15	1	978	193	201503024106560	03-09-15	1	3510	101 to 110
11	N.A.	31-07-15	1	980	58	201503024106825	09-09-15	1	3515	380 to 395
12	D-882	31-07-15	1	979	74	201503024106641	04-09-15	1	3511	511 to 520
13	D-883	31-07-15	1	979	75	201503024106642	04-09-15	1	3511	521 to 530
14	D-899	31-05-15	1	979	76	201503024106643	04-09-15	1	3511	531 to 540
15	D-922	31-07-15	1	978	192	201503024106559	03-09-15	1	3510	91 to 100
16	D-893	31-07-15	1	979	77	201503024106644	04-09-15	1	3511	541 to 550
17	D-875	31-07-15	1	979	86	201503024106653	04-09-15	1	3512	31 to 40
18	D-913	31-07-15	1	979	2	201503024106569	03-09-15	1	3510	191 to 200
19	D-954	31-07-15	1	978	187	201503024106554	03-09-15	1	3510	41 to 50
21	D-933	31-07-15	1	980	60	201503024106827	09-09-15	1	3515	412 to 427
22	D-935	31-07-15	1	978	184	201503024106551	03-09-15	1	3510	11 to 20
23	D-948	31-07-15	1	978	183	201503024106550	03-09-19	1	3510	1 to 10
24	D-902	31-07-15	1	979	81	201503024106648	04-09-15	1	3511	581 to 590
25	D-865	31-07-15	1	979	78	201503024106645	04-09-15	1	3511	551 to 560
26	D-862	31-07-15	1	979	79	201503024106646	04-09-15	1	3511	561 to 570
27	D-869	31-07-15	1	979	80	201503024106647	04-09-15	1	3511	571 to 580
28	D-866	31-07-15	1	979	72	201503024106639	04-09-15	1	3511	491 to 500
29	D-868	31-07-15	1	979	71	201503024106638	04-09-15	1	3511	481 to 490
31	D-871	31-07-19	1	980	62	201503024106829	09-09-15	1	3515	444 to 459

For Anudeep Law Associates

 Partner

32	D-867	31-07-15	1	979	87	201503024106654	04-09-15	1	3512	41 to 50
33	D-953	31-07-15	1	978	178	201503024106545	03-09-15	1	3509	552 to 561
34	D-936	31-07-15	1	978	179	201503024106546	03-09-15	1	3509	562 to 571
35	D-946	31-07-15	1	978	200	201503024106567	03-09-15	1	3510	171 to 180
36	D-874	31-07-15	1	979	88	201503024106655	04-09-15	1	3512	51 to 60
37	D-905	31-07-15	1	979	89	201503024106656	04-09-15	1	3512	61 to 70
38	D-863	31-07-15	1	979	70	201503024106637	04-09-15	1	3511	471 to 480
39	D-889	31-07-15	1	980	63	201503024106830	09-09-15	1	3515	460 to 475
41	D-890	31-07-15	1	980	65	201503024106832	09-09-15	1	3515	492 to 507
42	D-891	31-07-15	1	980	66	201503024106833	09-09-15	1	3515	508 to 523
43	D-870	31-07-15	1	980	53	201503024106820	09-09-15	1	3515	300 to 315
44	D-884	31-07-15	1	980	52	201503024106819	09-09-15	1	3515	284 to 299
45	D-892	31-07-15	1	980	51	201503024106818	09-09-15	1	3515	268 to 283
46	D-873	31-07-15	1	980	50	201503024106817	09-09-15	1	3515	252 to 267
47	D-888	31-07-15	1	980	49	201503024106816	09-09-15	1	3515	236 to 251
48	D-900	31-07-15	1	980	48	201503024106815	09-09-15	1	3515	220 to 235
49	D-951	31-07-15	1	978	191	201503024106558	03-09-15	1	3510	81 to 90

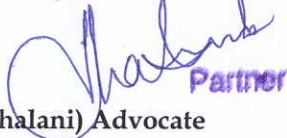
CERTIFICATE:-

We have perused the documents forwarded to us and have got relevant and available records verified at the office of the concerned Sub Registrar for the year of 2014-2020 on dated 13-Feb-2020 vide receipt GRN No. 37738634, 37738787. The said 45 Plots are free from all sorts of encumbrance, lien, charges, mortgages etc. **SANKALP DEVELOPERS**, has clear and marketable title on these properties.

Thanking you,

Yours truly,

For Anudeep Law Associates


Partner

(Anup Jhalani) Advocate